[2021] 13 एस. सी. आर. 566

नसीब सिंह

वी.

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

(आपराधिक अपील सं। 1051-1054 2021 का)

08 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ

और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 386 , 223 - पुनः विचारण के निर्देश देने के लिए अपीलीय न्यायालय की शक्ति-आयोजितः अपीलीय न्यायालय

न्याय की विफलता को रोकने के लिए केवल 'असाधारण' परिस्थितियों में ही पुनः विचारण का निर्देश दे सकते हैं-जांच में केवल खामियां ही पुनः परीक्षण के लिए निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं-केवल तभी जब खामियां इतनी गंभीर हों कि पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो पुनः परीक्षण किया जा सकता है।

तथ्यों पर निर्देशित, एक ही लेन-देन में अपराधों से संबंधित दो एफ. आई. आर., एक अभियोजक के कथित सामूहिक बलात्कार से उत्पन्न; और अन्य अभियोजक की आत्महत्या से उत्पन्न-उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दो एफ. आई. आर. एस. से उत्पन्न होने वाले मुकदमों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को दोषसिद्धि और बरी करने के निर्णयों को माफ करते हुए और निर्देश देते हुए कि मुकदमों को एक साथ जोड़ा जाए और मुकदमा चलाया जाए।

जैसा कि यू/एस प्रदान किया गया है। 223 , यह न्याय का उपहास है-घटना की तारीख से 7 साल से अधिक के अंतराल के साथ, एक पुनर्विचार न्याय के कारण को आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता होगी-भले ही यह स्वीकार किया जाए कि दो प्राथमिकियों में किए गए कथित अपराध एक ही लेनदेन के दौरान किए गए थे, एस में वाक्यांश के अर्थ के भीतर। 223 (घ) संयुक्त सुनवाई के बाद पुनः सुनवाई का निर्देश देने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है-अभियुक्त के लिए यह साबित करना अनिवार्य था कि अलग-अलग सुनवाई न्याय की विफलता का कारण बनी-न्याय की विफलता के पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया-इसके अलावा, अलग-अलग सुनवाई का आयोजन कानून के विपरीत नहीं था और यह कि उच्च न्यायालय की संतुष्टि के लिए न्याय की कोई परिणामी विफलता नहीं थी।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 धारा 386 दंड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों को परिभाषित करती है -

अपीलीय न्यायालय। खंड (ए) के तहत, अपीलीय न्यायालय है -

अन्य बातों के साथ-साथ बरी करने के आदेश की अपील में अधिकारितः ऐसे आदेश को उलटने और निर्देश देने के लिए कि आगे की जांच की जाए; या कि अभियुक्त पर फिर से मुकदमा चलाया जाए या फिर से मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया जाए; या उसे दोषी पाया जाए और उसे कानून के अनुसार सजा दी जाए। पुनः विचारण का आदेश देने की अपीलीय न्यायालय की शक्ति को भी खंड में मान्यता दी गई है।

(ख) (i) किसी दोषसिद्धि की अपील के संदर्भ में और खंड में (ग) (i) सजा बढ़ाने की अपील में। [पैरा 20] [584-जी; 586-ए-सी]

1.2 पुनः विचारण का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अपीलीय न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो कि कार्यवाही का परीक्षण करने वाले न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

मुकदमा गंभीर अवैधताओं और अनियमितताओं या कार्यवाही की प्रकृति की गलत धारणा के कारण दूषित हो गया था। जिसके परिणामस्वरूप कोई वास्तविक मुकदमा नहीं चलाया गया था; या अभियोजक

या एक अभियुक्त को उनके नियंत्रण से परे कारणों से आरोप के लिए साक्ष्य सामग्री का नेतृत्व करने या प्रस्तुत करने से रोका गया था और न्याय के हित में, अपीलीय न्यायालय पुनः विचारण का आदेश देना उचित समझता है। पुनः विचारण का आदेश पूर्ववर्ती कार्यवाही को अभिलेख से मिटा देता है और वर्तमान को उजागर करता है। दूसरे मुकदमे के लिए अभियुक्त। यही कारण है कि पुनः विचारण का आदेश केवल इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और यह नहीं पता था कि उनके मामले को कैसे साबित किया जाए। [पैरा 22] [587-ई-एच]

1.3 पुनः विचारण पर उभरने वाले सिद्धांतों को तैयार किया जा सकता है

निम्नानुसारः

(i) अपीलीय न्यायालय केवल इस मामले में पुनः विचारण का निर्देश दे सकता है -

' न्याय की विफलता को रोकने के लिए असाधारण परिस्थितियाँ;

साक्ष्य के गहन अध्ययन के अनुसार मामला; ((iv) यह पर्याप्त नहीं है यदि अभियुक्त/अभियोजन पक्ष चेहरे पर तर्क देता है कि न्याय की विफलता हुई है।

एक पुनः परीक्षण की गारंटी। अपीलीय अदालत पर यह दायित्व है कि वह [2021] 13 एस. सी. आर. की प्रकृति पर एक तर्कपूर्ण आदेश प्रदान करने के लिए एक पुनर्विचार का निर्देश दे।

साक्ष्य और जांच प्रक्रिया के संदर्भ में न्याय की विफलता;

(v) यदि किसी मामले को फिर से सुनवाई के लिए निर्देशित किया जाता है, तो पिछले मुकदमे के साक्ष्य और रिकॉर्ड को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है; और

(vi) न्यायालय इस आधार पर पुनः विचारण का आदेश दे सकता है कि -

न्याय का गर्भपात तब होता है जब विचारण न्यायालय अधिकारिता के अभाव में विचारण के साथ आगे बढ़ता है; विचारण को कार्यवाही की प्रकृति की गलत धारणा के आधार पर अवैधता या अनियमितता से दूषित किया गया है; और अभियोजक को आरोप की प्रकृति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने से अक्षम या रोका गया है, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण को प्रहसन, ढोंग या छल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। [पैरा 28] [594-ए-एच]

1.4 संयुक्त परीक्षण पर तैयार किए गए सिद्धांत और अलग

परीक्षण यह है कि धारा 218 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग परीक्षण किए जाएंगे। धारा 219-221 इस सामान्य नियम के अपवाद प्रदान करती है। यदि कोई व्यक्ति इन अपवादों के अंतर्गत आता है, तो उन अपराधों के लिए एक संयुक्त मुकदमा चलाया जा सकता है जिनके लिए एक व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है। इसी तरह, धारा 223 के तहत, विभिन्न अपराधों के लिए आरोपित व्यक्तियों के लिए एक संयुक्त मुकदमा आयोजित किया जा सकता है, यदि इसमें से कोई भी खंड प्रावधान अलग से या एक संयोजन पर संतुष्ट होते हैं। संयुक्त और अलग-अलग मुकदमों के संचालन पर धारा 218-223 में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करते समय, निचली अदालत को एक दो-आयामी परीक्षण लागू करना चाहिए, अर्थात्, क्या एक संयुक्त/अलग परीक्षण आयोजित करने से अभियुक्त के बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और/या क्या एक संयुक्त/अलग परीक्षण आयोजित करने से न्यायिक देरी होगी। संयुक्त परीक्षण आयोजित करने की संभावना परीक्षण की शुरुआत में निर्धारित की जानी चाहिए न कि परीक्षण के परिणाम के आधार पर परीक्षण के बाद। अपीलीय अदालत इस तर्क की वैधता का निर्धारण कर सकती है कि केवल इस आधार पर एक अलग/संयुक्त मुकदमा होना चाहिए था कि क्या मुकदमे ने अभियुक्त या अभियोजक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। चूंकि एक अपवाद को शामिल करने वाले प्रावधान एक संयुक्त परीक्षण के संचालन के संदर्भ में 'मई' वाक्यांश का उपयोग करते हैं, इसलिए एक अलग परीक्षण आमतौर पर कानून के विपरीत नहीं होता है, भले ही एक संयुक्त परीक्षण आयोजित किया जा सके, जब तक कि एक संयुक्त परीक्षण का कारण बनने के लिए साबित न हो जाए।

न्याय की विफलता। अभियुक्त के दोषसिद्धि या दोषमुक्त होने के निर्णय को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि नसिब सिंह बनाम की संभावना थी।

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

एक संयुक्त या एक अलग परीक्षण। दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करना या बरी होने पर, यह साबित किया जाना चाहिए कि पक्षकारों के अधिकार संयुक्त या अलग मुकदमे के कारण पूर्वाग्रहपूर्ण थे, जैसा भी मामला हो। [पैरा 38] [603-डी-एच; 604-ए-बी]

1.5 2012 की एफ. आई. आर. 187 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले के संबंध में, अपीलार्थी के खिलाफ आरोप

यह था कि उसने बलात्कार के मामले में एक दागी जांच की थी

अपीलार्थी द्वारा की गई कार्रवाई को आगे की जाँच के दौरान उसके द्वारा अपनाया गया था; और पी. डब्ल्यू. 12, पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 21 ने अपीलार्थी के खिलाफ अपने साक्ष्य के दौरान कोई आरोप नहीं लगाया था, लेकिन इसके विपरीत कहा था कि उसने एक उचित जाँच की थी। साक्ष्य की सराहना करने पर, विचारण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य का अभाव था कि अपीलार्थी ने आई. पी. सी. की धारा 306,217 और 218 के तहत कोई अपराध किया था। [पैरा 39] [604-डी-एच; 605-ए-बी] 1.6 उच्च न्यायालय ने एक पुनः विचारण का आदेश देते हुए कहा कि एफ. आई. आर. 96 और एफ. आई. आर. 187 में एक अलग परीक्षण ने दोनों पक्षों के लिए उतना ही पूर्वाग्रह पैदा किया है जितना कि वे दूसरे मामले में साक्ष्य पर भरोसा करने में असमर्थ थे। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को दोनों कथित अपराधों के लिए एक संयुक्त मुकदमा चलाने का विवेकाधिकार है, अर्थात्, अभियोजक का सामूहिक बलात्कार और परिणामी आत्महत्या और इसके लिए उकसाना क्योंकि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 (डी) को देखते हुए जुड़े हुए हैं; अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों मामलों के तथ्यों और साक्ष्य-एफ. आई. आर. 96 और 187 पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मुकदमे अलग से आयोजित किए गए थे, इसलिए नाथी लाल के मामले को देखते हुए, अदालत दूसरे मामले में सबूत का उल्लेख करने में असमर्थ थी। यदि दोनों प्राथमिकियों से उत्पन्न होने वाले मुकदमों में साक्ष्य को अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अदालत द्वारा एक साथ स्कैन नहीं किया जाता है, तो यह न्याय की विफलता की ओर ले जाएगा; और हालाँकि अपीलार्थी को [2021] 13 एस. सी. आर. में लेते हुए, एफ. आई. आर. 96 और एफ. आई. आर. 187 दोनों में बरी कर दिया गया था।

उसी अवधि में किए गए विभिन्न अपराधों का अभियुक्त लेन-देन पर शुल्क लगाया जाना चाहिए और एक साथ प्रयास किया जाना चाहिए। [पैरा 42] [606-ई-एफ]

ऊखा कोल्हे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1964) 1 एससीआर 926

- पीछा किया। अजय कुमार घोषाल बनाम। बिहार राज्य (2017) 12 एससीसी

699 : [2017] 1 एससीआर 469-पर निर्भर।

1.8 उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 (ए) को देखते हुए दोनों प्राथमिकियों में सुनवाई के दौरान अपीलार्थी पर अन्य अपीलार्थियों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया गया था। अपीलार्थी को एफ. आई. आर. 96 से उत्पन्न सत्र मुकदमे में बरी कर दिया गया था।

29 नवंबर 2014 को और 29 जनवरी 2015 को एफ. आई. आर. 187/2012 से उत्पन्न मुकदमे में। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि "उसने एक अधिकार अर्जित किया था और उसे परेशान करने में यह धीमा होना चाहिए", फिर भी उसने दोनों मामलों को फिर से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया।

संतुलन और न्याय का वितरण "। अपीलार्थी और पंजाब राज्य दोनों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन में योग्यता है कि पुनः विचारण का आदेश साक्ष्य के पूरे रिकॉर्ड को मिटा देता है। अलग-अलग मुकदमों के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य कुछ अभियुक्तों के लिए मौजूद नहीं हो सकते हैं और दूसरों के लिए नहीं। उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रभाव अपीलार्थी को दूसरे के साथ एक नए मुकदमे के लिए खारिज करना है।

अभियुक्त। उच्च न्यायालय ने वास्तव में निर्देश दिया है कि यह देखते हुए मुकदमा नए सिरे से चलाया जाएगा कि अभियुक्तों पर उनके द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के लिए एक साथ आरोप लगाया जाए।

[पैरा 45] [607-एफ-जी; 608-ए-डी]

1.9 अपीलार्थी ने यह याचिका दायर की है कि इस स्तर पर पुनः सुनवाई का आदेश देना गंभीर पूर्वाग्रह का विषय होगा क्योंकि एनएएसआईबी सिंह बनाम।

धारा 217,218 और 120 बी के प्रावधान जोड़े जाने के बाद 11 जनवरी 2013 को इसे फंसाया गया था। अभियोजक पर सामूहिक बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया गया था जो है आरोप है कि अंततः 26 दिसंबर 2012 को उसकी आत्महत्या के परिणामस्वरूप आई. पी. सी. की धारा 306/34 के तहत एफ. आई. आर. 100 दर्ज की गई जिसे पी. एस. समाना को स्थानांतरित कर दिया गया और एफ. आई. आर. 187 के रूप में दर्ज किया गया। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले से अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा और अपीलार्थी को बरी करने के फैसले को निचली अदालत में माफ कर दिया और फिर से सुनवाई का आदेश दिया। घटना की तारीख से 7 साल से अधिक के अंतराल के साथ, फिर से मुकदमा नहीं चलेगा।

न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना लेकिन इसके परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता होगी। उच्च न्यायालय का निर्णय न्याय का उपहास है। [पैरा 46] [608-डी-जी; 609-ए]

न्याय की विफलता का कारण बना। न्याय की विफलता के पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हालांकि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा है कि एफ. आई. आर. 96 और एफ. आई. आर. 187 में अलग-अलग मुकदमों के कारण न्याय की विफलता हुई, लेकिन कोई विश्लेषण नहीं किया गया। निष्कर्ष को समझाने के लिए काम शुरू किया गया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने केवल यह कहा है कि गर्भपात हो सकता है

न्याय। इसलिए, अपीलार्थी के प्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के अलावा, जिसे न्यायालय के समक्ष लाया गया है, अलग-अलग मुकदमों का आयोजन कानून के विपरीत नहीं था और वहाँ [2021] 13 एस. सी. आर. था।

न्याय की कोई परिणामी विफलता उच्च न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रदर्शित नहीं की गई थी। [पैरा 47] [609-बी-ई]

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। चीमलपति गणेश्वर राव ए. आई. आर 1963 एस. सी. 1850: [1964] एस. सी. आर. 297-निर्भर।

1.11 पंजाब राज्य उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित पुनः विचारण के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील में नहीं है।

अपीलार्थी के नेतृत्व में जाँच दल के गवाहों की मृत्यु के परिणामस्वरूप मुकदमे की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा, एक पुनः विचारण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा कि अभियोजक पर कथित रूप से किए गए एक जघन्य अपराध में न्याय किया जाए जिसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। [पैरा 48] [609-ई-एफ] 1.12 उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 49] [609-जी]

नाथी लाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 1988 एससी (आपराधिक) 638; नाथी लाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1990) पूरक एस. सी. सी. 145; आंध्र राज्य

प्रदेश बनाम. चीमलपति गणेश्वर राव आकाशवाणी 1963

एस. सी. 1850 [1964] एस. सी. आर. 297; स्टेट ऑफ एम. पी. बनाम। भुराजी (2001) 7 एस. सी. सी. 679: [2001] 2 पूरक। एससीआर 128; गंगुला अशोक बनाम। ए पी (2000) 2 एस. सी. सी. 504 की स्थितिः [2000] 1 एस. सी. आर. 468; ज़हिरा हबीबुल्ला शेख बनाम। गुजरात राज्य (2004) 4 एस. सी. सी. 158 [2004] 3 एस. सी. आर. 1050; सत्यजीत बनर्जी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य 2005 (1) एससीसी 115: [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 295; मोहम्मद हुसैन बनाम। राज्य (एन. सी. टी. सरकार)

दिल्ली) (2012) 9 एस. सी. सी. 408: [2012] 10 एस. सी. आर. 480; नर सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2015) 1 एससीसी 496: [2014] 12 एस. सी. आर. 218; इसाक बनाम। रोनाल्ड चेरियन (2018) 2 एस. सी. सी. 278 [2018] 1 एस. सी. आर. 217; मैरी पाप्पा जेबामानी बनाम। गणेशन (2014) 14 एससीसी 477: [2013] 11 एस. सी. आर. 1042; आर. दिनेश कुमार बनाम। राज्य (2015) 7 एससीसी 497 [2015] 5

एससीआर 605; चंद्र भाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 1971 (3) एस. सी. सी. 983; एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो (2015) 10 एस. सी. सी. 562 [2015] 11 एस. सी. आर

340 संदर्भित किया गया।

- नसीब सिंह बनाम। पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

मामला कानून संदर्भ

(1990) पूरक एस. सी. सी. 145

पै

रा 18 (i.

संदर्भित किया गया है

(1964) 1 एससीआर 926

पीछा किया।

पै

रा 21,

[2001] 2 पूरक। एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2000] 1 एससीआर 468

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2004] 3 एससीआर 1050

पै

रा 23

संदर्भित किया गया है

[2004] 6 पूरक। एससीआर 294

पै

रा 24

संदर्भित किया गया है

[2012] 10 एससीआर 480

पै

रा 26

संदर्भित किया गया है

[2014] 12 एससीआर 218

पै

रा 26

संदर्भित किया गया है

[2018] 1 एससीआर 217

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[2013] 11 एससीआर 1042

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[2015] 5 एससीआर 605

संदर्भित किया गया है

पै

रा 34

1971 (3) एस. सी. सी. 983

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[2015] 11 एससीआर 340

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

[2017] 1 एससीआर 469

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

[1964] एससीआर 297

उस पर भरोसा करें

पै

रा 47

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक एपी

नं. 1051-1054 2021 से।

उच्च न्यायालय के 20.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के सी. आर. ए.-एस.-1485-एस. बी., 2015 के सी. एस.-1741-एस. बी., 2015 के सी. आर. ए.-एस.-1940-एस. बी. और 2016 के सी. आर. ए.-एस.-1599-एस. आई. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1055-1059 2021 से। विपिन गोगिया, सुश्री क्रिस्टी जैन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री उत्तरा बब्बर, मनन बंसल, डी. भरत कुमार, ताडिम

भास्कर गौतम, अमन शुक्ला, हाथींद्र मंडा, दसारी मुर

मोहन, गोपाल झा, डॉ. निशीश शर्मा, नरेंद्र कुमार वर्मा, उत्तरदाताओं के लिए ए।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 20 दिसंबर 2019 के एक फैसले से उत्पन्न होती हैं।

नौ आपराधिक अपीलें। उच्च न्यायालय ने नए मुकदमे के लिए दो अलग-अलग प्राथमिकियों से उत्पन्न बरी और दोषसिद्धि के आदेशों को हटा दिया और निर्देश दिया कि दोनों प्राथमिकियों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के तहत एक साथ जोड़ा जाए और एक अदालत द्वारा एक साथ मुकदमा चलाया जाए। विचार के लिए जो मुद्दा उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अलग-अलग परीक्षण आयोजित करने से उत्पन्न होता है

दो प्राथमिकियों में से एक नए सिरे से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश का समर्थन करता है।

मिट्टी के दीपक जलाने के लिए नदी। जब वे घर लौट रहे थे, तो आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ अमन द्वारा चलाई गई एक कार उनके पास आई। आरोप है कि बलविंदर सिंह गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। गुरप्रीत सिंह ने अभियोजक और शिंदरपाल कौर के पास कार रोकी, जिसके बाद उनके परिचित बलविंदर सिंह ने वाहन का दरवाजा खोला, उन्हें पकड़ लिया और वाहन की पिछली सीट पर फेंक दिया। वाहन के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे बंद कर दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजक द्वारा लगाए गए अलार्म नहीं सुने जा सके।

राहगीर-द्वारा। शिंदरपाल कौर मौके से चली गईं। बलविंदर सिंह पर कार में अभियोजक पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप है जिसके बाद उसे आरोपी संदीप सिंह के मोटर शेड में ले जाया गया। संदीप सिंह ने चाबी बलविंदर सिंह को सौंप दी जिसके बाद अभियोजक पर आरोप है कि बलविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह ने मोटर शेड के परिसर में बार-बार बलात्कार किया। अभियोजक पर आरोप है कि उसे जबरन मादक पदार्थ पिलाया गया जिसके परिणामस्वरूप वह अर्ध-होश में आ गई। 9.30pm पर, उसे वाहन में लाया गया और गाँव के गुरुद्वारे के पास फेंक दिया गया। अभियोजक उसके घर पहुंचने में कामयाब रहा और उसने अपनी मां सुरजीत कौर को घटना के बारे में बताया।

3. 22 नवंबर 2012 को अभियोजक अपने रिश्तेदार, बहन और मां के साथ कथित तौर पर पुलिस स्टेशन सिटी समाना पहुंचा।

जहाँ से उन्हें घग्गा पुलिस स्टेशन भेजा गया।

4. 27 नवंबर 2012 को अभियोजक को उसका बयान मिला।

बादशाहपुर में पुलिस चौकी के प्रभारी उप-निरीक्षक नसीब सिंह (अपीलार्थी) के साथ अभिलिखित किया गया जिसके आधार पर प्रथम सूचना एनएएसआईबी सिंह बनाम।

पंजाब राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

रिपोर्ट 1 96/2012 2 घग्गा, बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता 3 की धारा 363,366 ए, 376,328 और 34 के तहत दर्ज की गई थी। एफ़. आई. आर. में बलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ अमन और संदीप सिंह को उन व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया है जिन्होंने यौन उत्पीड़न के कृत्यों को अंजाम दिया था। अभियोजक। अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि हालाँकि अपीलार्थी को अभियोजक से बलात्कार की कथित घटना की जानकारी मिली थी,

कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और उचित जांच नहीं की गई।

5. 26 दिसंबर 2012 को, अभियोजक ने आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ दिया जिसमें बलविंदर सिंह, गुरपीत सिंह और शिंदरपाल कौर को अपना जीवन समाप्त करने के उसके फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अभियोजक की मृत्यु के तुरंत बाद, अपीलार्थी ने आरोपी बलविंदर सिंह, गुरपीत सिंह और शिंदरपाल कौर को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजक की चचेरी बहन, परविंदर कौर द्वारा दिए गए एक बयान के आधार पर, 26 दिसंबर 2012 को पुलिस थाना घग्गा में अपीलार्थी (एस. आई. नसीब सिंह), बलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ अमन और शिंदरपाल कौर के खिलाफ अभियोजक को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफ. आई. आर. 100 को रद्द कर दिया गया था क्योंकि आत्महत्या के दौरान आत्महत्या की गई थी।

पीएस समाना की क्षेत्राधिकार सीमाएँ। 31 दिसंबर 2012 को बलविंदर सिंह, गुरपीत सिंह और शिंदरपाल कौर के खिलाफ आई. डी. 1/20125 दर्ज की गई थी।

पीएस समाना में आईपीसी की धारा 34।

6. एडीजीपी द्वारा एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था।

(अपराध) 2012 की एफ. आई. आर. 96 के रूप में दर्ज सामूहिक बलात्कार मामले में अपीलार्थी द्वारा की गई जाँच के मानक की जाँच करना। एसआईटी

इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलार्थी द्वारा एफ. आई. आर. 960 एफ 2012 में की गई जाँच में खामियाँ थीं। पटियाला के अधीक्षक (अपराध), जो एस. आई. टी. के सदस्य थे, ने 29 दिसंबर 2012 को संदीप सिंह को गिरफ्तार किया। अपीलार्थी को 27 दिसंबर 2012 को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। अपील पर, बर्खास्तगी को 11 अप्रैल 2014 को अलग कर दिया गया था, और अपीलार्थी को सेवा में बहाल कर दिया गया था।

1 " एफ. आई. आर. "

2 " एफ. आई. आर. 96 "3" आई. पी. सी.

4 " एफ. आई. आर. 100 '5' एफ. आई. आर. 187 '6' एस. आई. टी. '[2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. 15 जनवरी 2013 को, अपीलार्थी को इस संबंध में फंसाया गया था -

अभियोजक के सामूहिक बलात्कार और आई. पी. सी. की धारा 217,218 और 120 बी के तहत कथित अपराधों से संबंधित 2012 की एफ. आई. आर. 96 जोड़ी गई। धारा 376/34 के तहत अपराध के लिए दर्ज 2012 की प्राथमिकी 187 के संबंध में, अपीलार्थी को निम्नलिखित अपराधों को जोड़ने के बाद फंसाया गया थाः आईपीसी की धारा 217,218 और 120-बी। 5 अप्रैल 2013 को पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 2012 की प्राथमिकी 187 में आरोप तय किए गए थे। अभियुक्तों पर आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप लगाए गए थे, जबकि प्रतिवादी पर आई. पी. सी. की धारा 217 और 218 के तहत भी आरोप लगाए गए थे।

8. 29 नवंबर 2014 को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला

आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी), 366,328 और 120 बी के तहत अपराधों के लिए 2012 की एफ. आई. आर. 96। दी गई दोषसिद्धि और सजा का एक सारणीबद्ध बयान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा बलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ अमन, शिंदरपाल पाल कौर और संदीप सिंह पर लगाए गए फैसले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले से नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

दोषी बलविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह उर्फ अमन

सजा सुनाई

गई

श्री.

अपराध

नहीं।

कठोर

कारावास

यू/एस।

1

(आर.

आई.) प्रत्येक जीवन के लिए और

376 (2) (जी)

रुपये का

जुर्माना दें। 10,000 /

आईपीसी

प्रत्येक और

डिफ़ॉल्ट रूप से

पीड़ितों को

जुर्माने का भुगतान

एक वर्ष के लिए आर. आई.

प्रत्येक

आर. आई.

प्रत्येक 10 वर्षों के लिए

यू/एस। 366 आईपीसी

2

और रुपये

का जुर्माना देना।

10,000

/ - प्रत्येक में

जुर्माने का

भुगतान करने में चूक

1 के लिए

आगे आर. आई. भुगतना होगा

प्रत्येक वर्ष

3

आर. आई.

प्रत्येक 7 वर्षों के लिए और

यू/एस। 328 आईपीसी

रुपये का

जुर्माना देना। 5,000 /

प्रत्येक और

डिफ़ॉल्ट रूप से

पीड़ितों को

जुर्माने का भुगतान

6 महीने के लिए आर. आई.

प्रत्येक नसिब सिंह बनाम। पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दोषी शिंदरपाल कौर और संदीप सिंह (पीडीएफ पृष्ठ 587)

सजा सुनाई गई

श्री.

अपराध

नहीं।

यू/एस। 376 (2) (जी)

आर. आई. जीवन

के लिए प्रत्येक और

1

रुपये का जुर्माना

देना।

आर/डब्ल्यू एस. 120 बी

10,000 / -

प्रत्येक में

आईपीसी

भुगतान में चूक

आगे भी भुगतने के लिए जुर्माना

आर. आई. 1 वर्ष

के लिए, प्रत्येक

आर. आई. 10

वर्षों के लिए

यू/एस। 366 आर/डब्ल्यू एस।

2

120 बी आई. पी. सी

प्रत्येक और जुर्माना

देने के लिए

से रु. 10,000 /

- प्रत्येक

और डिफ़ॉल्ट रूप से

1 प्रत्येक वर्ष

आर. आई. प्रत्येक 7 वर्षों के लिए

यू/एस। 328 आर/डब्ल्यू एस।

3

120 बी आई. पी. सी

और रुपये का

जुर्माना देना।

5,000 / - प्रत्येक में

आगे भी भुगतने के

लिए जुर्माना

6 महीने के लिए आर. आई.

प्रत्येक

9. पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को बरी कर दिया।

सिंह इस आधार पर कि साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था

ई ने एक दागी जांच की थी। ट्रायल जज ने भरोसा जताया

डी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 20 के बयानों पर अन्य और आयोजितः

((i)

हस्तलेखन विशेषज्ञ (डी. डब्ल्यू. 1) ने पदच्युत किया है कि लेखन

दिनांकित 27.11.2012 पर ज़िमनी रिपोर्ट के साथ मेल नहीं खाते हैं

नसीब सिंह के मानक लेखन। अभियोजन पक्ष ने

साबित करने के लिए नसीब सिंह के किसी भी अधीनस्थ से पूछताछ नहीं की गई क्या ज़िमनी रिपोर्ट निर्देशों के तहत लिखी गई थी

या अपीलार्थी के निर्देशों के अभाव में; और

((ख)

पीडब्लू 20, हेड कांस्टेबल जो इसके सदस्य थे

प्रारंभिक जाँच करने वाला पुलिस दल

नसीब सिंह के नेतृत्व में अपदस्थ किया गया कि अपीलार्थी ने

नियमों और प्रक्रिया के अनुसार सभी कार्यवाहियां

जाँच को नियंत्रित करना।

10. जहां तक धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, पढ़ें

2012 की एफ. आई. आर. 187 की धारा 34 में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला ने तीन अभियुक्तों को आरोपित किया, लेकिन एक निर्णय द्वारा अपीलार्थी को बरी कर दिया।

29 जनवरी 2015। अपीलार्थी को निम्नलिखित के साथ बरी कर दिया गया थाः

जीएसः

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि फोटो की प्रतिलिपि

(1)

पीडब्लू2 द्वारा उन्हें सौंपे गए सुसाइड नोट के साथ छेड़छाड़ की गई है। पी. डब्ल्यू. 22 (एस. पी. जयपाल सिंह), जिन्होंने अपीलार्थी को जाँच से हटाए जाने के बाद जाँच की, ने कहा कि प्रारंभिक

अपीलार्थी द्वारा की गई जाँच को अपनाया गया था

उसकी आगे की जाँच के दौरान; और किसी अन्य गवाह ने इस तरीके के खिलाफ गवाही नहीं दी है

((ख)

अपीलार्थी द्वारा की गई जाँच। धारा 218 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन को होना चाहिए

यह साबित करने में सक्षम कि एक लोक सेवक ने यह जानते हुए एक रिकॉर्ड तैयार किया कि यह गलत है। तत्काल मामले में, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी का इरादा एक
गलत रिकॉर्ड।

11. उच्च न्यायालय में नौ अपीलें दायर की गईं। फैसले और आदेश के खिलाफ अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा पाँच अपीलें दायर की गईं।

आई. पी. सी. की धारा 328,363 ए, 366,376 और 34 के तहत 2012 की एफ. आई. आर. 96 से उत्पन्न मुकदमे में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला का दिनांक 29 नवंबर 2014। इसी तरह, अभियुक्त की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील भी दायर की गई और आई. पी. सी. की धारा 34,217,218 और 120 बी के साथ धारा 376 के तहत 31 दिसंबर 2012 की 2012 की एफ. आई. आर. 187 से उत्पन्न 29 जनवरी 2015 को दी गई सजा के खिलाफ भी अपील दायर की गई।

12. एफ. आई. आर. 96 और एफ. आई. आर. 187 से उत्पन्न अपराधों के अपीलार्थी के बरी होने के फैसले को भी अभियोजक की माँ ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2019 के एक सामान्य विवादित फैसले और आदेश द्वारा सभी नौ अपीलों का निपटारा किया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि 29 नवंबर 2014 और 29 जनवरी 2015 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसलों से उत्पन्न अपीलों को अंतिम सुनवाई के लिए एक साथ सूचीबद्ध किया जाए।

13. उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णयों को माफ कर दिया और

29 नवंबर 2014 और 29 जनवरी 2015 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को एफ. आई. आर. 96 और एफ. आई. आर. 187 से उत्पन्न मुकदमों में बरी कर दिया गया और निर्देश दिया गया कि मुकदमों को एक साथ जोड़ा जाए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के तहत एक साथ मुकदमा चलाया जाए। उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने फैसले के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में अधिकांश गवाह

((i)

अलग-अलग एफ. आई. आर. आम हैं। वे सिर्फ क्रमांकित हैं

अलग तरह से; एएसआईबी सिंह बनाम। पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एफ. आई. आर. 187 में साक्ष्य मुकदमे के दौरान पेश किया गया था।

एफ. आई. आर. 96; एफ. आई. आर. 96 और एफ. आई. आर. 187 से उत्पन्न होने वाले दोनों अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि दो अलग-अलग मुकदमे आयोजित किए जाते हैं तो गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा। दोनों में साक्ष्य

एफ. आई. आर. को एक साथ स्कैन करना होगा;

एफ. आई. आर. एस. पर एक साथ या अलग से मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करने का विवेकाधिकार अदालत के पास निहित है। विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय, अदालत को इस परीक्षण को लागू करना चाहिए कि क्या अलग से प्राथमिकियों का परीक्षण करने से अवैधता होगी। हालाँकि, इस मामले में अलग-अलग एफ. आई. आर. में दोनों अपराध "एक साथ इतने जुड़े हुए हैं कि एक ही लेन-देन का हिस्सा हैं"; अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियोजक ने आरोपी द्वारा किए गए बलात्कार के कारण आत्महत्या कर ली थी। गुरप्रीत सिंह उर्फ अमन द्वारा दायर अपील में, सीआरपीसी की धारा 391 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था ताकि अतिरिक्त तथ्यों को रिकॉर्ड में लाया जा सके ताकि यह दिखाया जा सके कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से

मनप्रीत सिंह ने भी उसी दिन आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

उसी दिन और उसी स्थान पर अभियोजक के रूप में और पी. डब्ल्यू. 10-परविंदर कौर द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जिसके साथ अभियोजक प्रासंगिक समय पर रह रहा था। एफ. आई. आर. 1 दिनांकित

12 नवंबर 2013 में पीएस एसएएस नगर में आईपीसी की धारा 309 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों ही मामलों में तथ्यों और साक्ष्यों पर भरोसा कर रहे हैं। तथापि, नाथी लाल बनाम में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए। यूपी7 राज्य, जहाँ यह निर्धारित किया गया था कि एक मामले में साक्ष्य को निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहिए

एक अन्य मामले में, दूसरे मामले में साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। न्याय देने के लिए, एफ. आई. आर. 96 और एफ. आई. आर. 187 दोनों से उत्पन्न साक्ष्य और तथ्यों का एक साथ परीक्षण किया जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के तहत। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" इस अदालत ने यह भी देखा है कि सी. आर. एम.-24912-2019 अभियुक्त-अपीलार्थी गुरप्रीत सिंह @द्वारा दायर किया गया है। अमन ने सी . आर. ए.-डी.-385-डी. बी.-2015 में धारा 391 Cr.P.C के तहत अतिरिक्त तथ्यों को रिकॉर्ड में लाने की अनुमति के लिए यह दिखाने के लिए कि वास्तव में मनप्रीत नाम का एक अन्य व्यक्ति है।

सिंह ने उसी दिन मृतक के साथ उसी स्थान पर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था और उसे पीडब्लू-10-परविंदर कौर (जिसके साथ मृतक उस समय रह रहा था) द्वारा अस्पताल ले जाया गया था। एफ़. आई. आर. सं. 1 दिनांकित 12.01.2013 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 309 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में एस. ए. एस. नगर पंजीकृत किया गया था। विद्वान वकील ने इस साक्ष्य को सामने रखते हुए यह दावा करना चाहा कि वास्तव में मृतक ने कहानी में मनगढ़ंत कहानी रची थी

अलग-अलग कारण। ऊपर वर्णित साक्ष्य और तथ्यों को देखने के बाद इस न्यायालय का विचार है कि दोनों ने

अपराध एक-दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं

कि दोनों के लिए एक गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया है उक्त मामलों में अलग-अलग मुकदमों द्वारा अभियोजन के साथ-साथ बचाव भी। यह न्यायालय महसूस करता है कि जब तक न्यायालय द्वारा अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दोनों प्राथमिकियों के साक्ष्य को एक साथ स्कैन नहीं किया जाता है, तब तक यह न्याय की विफलता का कारण बन सकता है।

नसिब सिंह (अपीलार्थी) को निचली अदालत ने एफ़. आई. आर. 96 और एफ़. आई. आर. 187 से उत्पन्न अपराधों के संबंध में बरी कर दिया था और अदालत को इसे बाधित करने में देरी करनी चाहिए। हालाँकि, न्याय की स्पष्ट विफलता के कारण, मामले को फिर से सुनवाई के लिए वापस भेजने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कथित अभियुक्तों में से एक नसीब सिंह, जिस पर दोनों प्राथमिकियों में मुकदमे के दौरान अपीलार्थियों के साथ मुकदमा चलाया गया था, को 2014 में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। इस प्रकार, उन्होंने एक अधिकार अर्जित किया था और हमें उसे परेशान करने में धीमी गति से काम लेना चाहिए। लेकिन जब पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है और न्याय की विफलता के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो इस न्यायालय की राय है कि संतुलन बनाए रखने और न्याय देने के लिए इन मामलों को वापस भेजा जाना चाहिए।

पुनः परीक्षण के लिए "।

इस प्रकार निम्नलिखित दो मामलों को हटा दिया गयाः

(क) 27 नवंबर 2012 की एफ. आई. आर. No.96 से उत्पन्न अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला की 29 नवंबर 2014 की दोषसिद्धि और सजा का आदेश; और ए. एस. आई. बी. सिंह बनाम।

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(ख)

दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश

31 तारीख की एफ. आई. आर. No.187 से उद्भूत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला का दिनांक 29 जनवरी 2015 दिसंबर 2012।

आसिब सिंह इस अदालत में अपील कर रहे हैं।

ईव प्रदान किया गया है।

आर विपिन गोगिया, अपीलार्थी की ओर से पेश वकीलटोपीः

निर्णयों के दोनों सेट-बलात्कार का आरोप लगाने वाली एफ. आई. आर. 96 से उत्पन्न अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का 29 नवंबर 2014 का निर्णय और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाने वाली एफ. आई. आर. 187 से उत्पन्न 29 जनवरी 2015 का निर्णय एक ही अदालत और एक ही न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

अपीलार्थी को अतिरिक्त सत्रों द्वारा बरी कर दिया गया था

दोनों सत्र मुकदमों में न्यायाधीश और कोई अपील दायर नहीं की गई

राज्य द्वारा दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध;

सेवा से बर्खास्त किए गए अपीलार्थी को बहाल कर दिया गया था; यद्यपि सी. आर. पी. सी. की धारा 386 (ए) अपीलीय न्यायालय को इस तरह के आदेश को पलटने के लिए बरी करने के आदेश की अपील में अधिकार देती है और निर्देश देती है कि आगे की जांच की जाए या अभियुक्त पर फिर से मुकदमा चलाया जाए या मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध किया जाए, फिर भी मुकदमे का आदेश देने की शक्ति एक असाधारण प्रकृति की है और शक्ति के प्रयोग के लिए किसी भी अच्छी तरह से स्थापित आधार का अस्तित्व नहीं दिखाया गया है।

वर्तमान मामला;

उच्च न्यायालय के फैसले को माफ करने का आदेश

अभियुक्त पर दोषसिद्धि और दण्डादेश और एक नए मुकदमे का निर्देश देने से अपीलार्थी के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है क्योंकि उसके पक्ष में बरी होने का आदेश भी गुण-दोष पर किसी भी मूल्यांकन के बिना और बिना कारण या औचित्य के रद्द कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय का फैसला गंभीर होगा पूर्वाग्रह क्योंकि दो महत्वपूर्ण गवाह पीडब्लू20-हेड

कांस्टेबल रंजा राम और पीडब्लू 17-हेड कांस्टेबल गुरजीत [2021] 13 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सिंह (जो अपीलार्थी के साथ जाँच दल का हिस्सा थे) की मृत्यु हो गई है और अपीलार्थी द्वारा की गई जाँच की प्रकृति के संबंध में उनके बयानों को मिटा दिया जाएगा जहां पुनः मुकदमे में नए सबूत पेश किए जाने हैं।

मुकदमे के दौरान, पीडब्लू2, पीडब्लू12, पीडब्लू17, पीडब्लू21 और पीडब्लू22 की जांच की गई और उनके साक्ष्य की जांच की गई।

यह प्रदर्शित करें कि अपीलार्थी द्वारा जाँच ठीक से की गई है। यदि मामला पुनः विचारण के लिए भेजा जाता है तो पूर्ववर्ती विचारणों के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य का लाभ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।

अपीलार्थी की आयु वर्तमान में 65 वर्ष है। एक नया मुकदमा उसे गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है; और

हालाँकि अपीलार्थी के बरी होने के फैसले को अभियोजक की माँ ने चुनौती दी थी, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि आपराधिक मुकदमे के दौरान उसे अपीलार्थी के प्रति शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है।

दूसरी ओर सुश्री उत्तरा बब्बर, वकील

ई पंजाब राज्य जिसने मामले को कुशलता से प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत किया

सी. आर. पी. सी. की धारा 218 अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग मुकदमों के सामान्य नियम को स्वीकार करती है, जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ सी. आर. पी. सी. की धारा 223, जो यह प्रावधान करती है कि कब व्यक्ति अलग-अलग अपराध कर सकते हैं।

आरोप लगाया गया और एक साथ प्रयास किया गया, एक अपवाद है;

वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने धारा 223 (डी) के प्रावधानों को लागू किया है, जिसके तहत एक ही लेन-देन के दौरान किए गए विभिन्न अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर आरोप लगाया जा सकता है और एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय के उदाहरणों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है जो यह स्थापित करते हैं किः

एक संयुक्त मुकदमा आकस्मिक नहीं है, बल्कि विवेकाधिकार पर निर्भर करता है

अ)

अदालत की;

ख)

क्या संयुक्त मुकदमा चलाया जाना चाहिए, यह तय किया जाना चाहिए।

मुकदमों की शुरुआत में;

पुनः विचारण का आदेश देने की अपीलीय न्यायालय की शक्ति

(ग)

एक असाधारण प्रकृति का है जिसका प्रयोग किया जा सकता है

केवल वहाँ जहाँ न्याय की विफलता हो; एएसआईबी सिंह बनाम।

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उच्च न्यायालय वास्तव में नहीं आया है

(घ)

यह निष्कर्ष कि न्याय की विफलता होगी

लेकिन केवल इसलिए कि न्याय की विफलता हो सकती है

यदि एक संयुक्त परीक्षण का आदेश नहीं दिया जाता है; और

यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि पुनः मुकदमे का आदेश

ई)

अभिलेख से साक्ष्य को मिटा देता है जिसमें यह कुछ अभियुक्तों के लिए मौजूद नहीं हो सकता है और न ही

अन्य।

हालाँकि राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर नहीं की है

फिर भी, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, यह है

यह प्रस्तुत करने के लिए खुला है कि उच्च न्यायालय ने एक

पुनः परीक्षण का आदेश देने और भेजने में स्पष्ट त्रुटि दोषसिद्धि और अधिरोपित दंड; और

उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के परिणामस्वरूप, न्याय की गंभीर विफलता होगी क्योंकि दोनों मुकदमों में जो साक्ष्य दर्ज किए गए हैं, जिसके आधार पर अन्य अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को दोषी ठहराया गया था

अभियोजक के सामूहिक बलात्कार से जुड़े गंभीर अपराध जिसके परिणामस्वरूप वह पूरी तरह से आत्महत्या कर लेगी

रिकॉर्ड से मिटा दिया और मिटा दिया।

श्री डी. भरत कुमार, बलविंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) की ओर से वकील ने उपरोक्त प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करते हुए आग्रह किया है

जी प्रस्तुतियाँः

राज्य द्वारा इसके विरुद्ध इस न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय

पुनः विचारण के लिए विचारण न्यायालय को दोषसिद्धि और सजा; अपराधों से संबंधित तीन एफ़. आई. आर. हैं।

लेन-देन-कथित गिरोह से उत्पन्न होने वाली एफ. आई. आर. 96/2012

अभियोजक की आत्महत्या और इसमें शामिल एफ. आई. आर. 1/2013 मनप्रीत सिंह आई. पी. सी. की धारा 309 के तहत और यदि वे

अलग से मुकदमा चलाया जाता है, इससे न्याय की विफलता होगी;

नाथी लाल बनाम में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए। राज्य यू. पी. 8 के अनुसार, एक आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य पर क्रॉस-केस में भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, क्लब के लिए प्रेषण

परीक्षण ही एकमात्र विकल्प है जो न्याय प्रदान करेगा;

((iv) अभियोजक की आत्महत्या को कथित सामूहिक बलात्कार का परिणाम माना जाता है जो अपने आप में इसका संकेत है -

तथ्य यह है कि सामूहिक बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाना दोनों ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 (डी) के दायरे में आते हैं, जिसमें प्रावधान है कि व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है जहां अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग अपराध किए जाने का आरोप है।

एक ही लेनदेन के दौरान; उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में दर्ज किया है

(v)

कि अभियोजन पक्ष ने उस साक्ष्य पर भरोसा करने की मांग की थी जो एफ. आई. आर. एस. से उत्पन्न होने वाले दोनों मामलों में दर्ज किया गया था।

96 और 187; और

(vi) पुनः विचारण का आदेश अपीलार्थी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करता है क्योंकि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि नए आरोप बनाए जाने चाहिए। अपीलार्थी के लिए यह खुला रहेगा कि वह उस स्तर पर आरोपमुक्त करने के अपने उपायों को आगे बढ़ा सके।

19. अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से प्रतिनिधित्व इस प्रकार हैः डॉ. निशीश शर्मा, विद्वान वकील, आरोपी-गुरप्रीत सिंह की ओर से पेश हुए हैं। अभियुक्त संदीप सिंह की ओर से विद्वान वकील नरेंद्र कुमार वर्मा पेश हुए हैं। अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है -

शिंदरपाल कौर, हालांकि कार्यालय की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उन्हें सेवा दी गई है। चूंकि शिंदरपाल कौर ने सेवा की है, लेकिन इनमें दिखाई नहीं दी हैं।

कार्यवाही में, हमने श्री डी भरत कुमार से अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया है

न्यायमित्र के रूप में। श्री डी. भरत कुमार द्वारा जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है, वे अनिवार्य रूप से सभी अभियुक्तों-उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियों को शामिल करेंगे कि क्या उच्च न्यायालय उनकी दोषसिद्धि और सजा को माफ करने और फिर से मुकदमे का आदेश देने में उचित है।

विश्लेषण

A.

पुनः विचारण को निर्देशित करने की शक्ति

20. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 अपीलीय शक्तियों को परिभाषित करती है।

न्यायालय और नीचे निकाला गया हैः

" 386. अपीलीय न्यायालय की शक्ति। ऐसे अभिलेख का अवलोकन करने और अपीलार्थी या उसके वकील की सुनवाई करने के बाद, यदि वह उपस्थित होता है, और लोक अभियोजक की सुनवाई करने के बाद, यदि वह उपस्थित होता है, और धारा 377 या धारा 378 के तहत अपील के मामले में, अभियुक्त, यदि वह उपस्थित होता है, तो अपीलीय एनएएसआईबी सिंह v.

न्यायालय, यदि यह समझता है कि हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो अपील को खारिज कर सकता है, या कर सकता है

(क) किसी आदेश या दोषमुक्ति की अपील में, ऐसे आदेश को उलट दें और निर्देश दें कि आगे की जांच की जाए, या आरोपी पर फिर से मुकदमा चलाया जाए या मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया जाए, जैसा भी मामला हो, या उसे दोषी पाया जाए और उसे कानून के अनुसार सजा सुनाई जाए; (ख) दोषसिद्धि की अपील में

(i) निष्कर्ष और सजा को उलट दें और अभियुक्त को बरी या आरोपमुक्त कर दें, या उसे ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दें या परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध हों, या

((ii) निष्कर्ष में परिवर्तन करना, वाक्य को बनाए रखना, या

((ग) निष्कर्ष के साथ या उसमें परिवर्तन किए बिना, वाक्य की प्रकृति या विस्तार, या प्रकृति और विस्तार में परिवर्तन करें, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए नहीं;

(ग) सजा बढ़ाने की अपील में

(i) निष्कर्ष और सजा को उलट दें और आरोपी को बरी या आरोपमुक्त कर दें या उसे अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अदालत द्वारा फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दें, या

((ii) वाक्य को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन करें, या

((ग) निष्कर्ष के साथ या उसमें परिवर्तन किए बिना, वाक्य की प्रकृति या विस्तार, या प्रकृति और विस्तार में परिवर्तन करें, ताकि उसे बढ़ाया या घटाया जा सके।

(घ) किसी अन्य आदेश की अपील में, ऐसे आदेश को परिवर्तित या उलट दें;

(ङ) कोई संशोधन या कोई परिणामी या आनुषंगिक आदेश करना जो न्यायसंगत या उचित हो; बशर्ते कि सजा तब तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर न मिला होः बशर्ते कि

अपीलीय न्यायालय उस अपराध के लिए अधिक सजा नहीं देगा जो उसकी राय में अभियुक्त ने किया है, उस अपराध के लिए अदालत द्वारा आदेश पारित करने या अपील के तहत सजा देने से अधिक सजा दी जा सकती है।

(जोर दिया गया)

खंड (ए) के तहत, अपीलीय न्यायालय को अन्य बातों के साथ-साथ बरी करने के आदेश की अपील में अधिकार दिया गया हैः

((i)

इस तरह के आदेश को उलटना और निर्देश देना कि आगे की जांच की जाए

बनाया गया; या

((ख)

कि अभियुक्त पर फिर से मुकदमा चलाया जाए या फिर से मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध किया जाए; या

(iii)

उसे दोषी ठहराएँ और कानून के अनुसार उसे सजा दें।

अपीलीय न्यायालय की पुनः विचारण का आदेश देने की शक्ति भी है

खंड (ख) (i) में दोषसिद्धि की अपील के संदर्भ में और खंड (ग) (i) में सजा बढ़ाने की अपील में मान्यता प्राप्त है।

21. पुनः विचारण का निर्देश देने की अपीलीय न्यायालय की शक्ति का दायरा कई निर्णयों में व्याख्या के लिए इस न्यायालय के समक्ष आया है। ऊखा कोल्हे बनाम में संविधान पीठ का निर्णय। की स्थिति महाराष्ट्र ने इस मुद्दे से व्यापक रूप से निपटा है। उस मामले में,

अपीलार्थी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शराब के प्रभाव में लापरवाही से गाड़ी चलाने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराधों के लिए। ट्रायल जज ने कहा कि सबूत यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि अपीलार्थी दुर्घटना के समय मोटर वाहन चला रहा था और उसे मोटर वाहन अधिनियम और दंड संहिता के तहत अपराधों से बरी कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि सबूतों से यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी ने अवैध शराब का सेवन किया था और बॉम्बे निषेध अधिनियम की धारा 66 (बी) के तहत दंडनीय अपराध किया था। अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई

तीन महीने के लिए कारावास और जुर्माना देने का निर्देश दिया गया। अपील पर, सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया और इस आधार पर फिर से सुनवाई का आदेश दिया कि "निष्पक्ष और पूर्ण सुनवाई" नहीं हुई थी। संशोधन को उच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया गया था जिसके कारण इस न्यायालय में अपील की गई थी। न्यायमूर्ति जे. सी. शाह ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" 11. एक आपराधिक मामले की पुनः सुनवाई के लिए एक आदेश असाधारण मामलों में किया जाता है, और तब तक नहीं जब तक कि अपीलीय अदालत संतुष्ट न हो कि कार्यवाही का प्रयास करने वाले न्यायालय को इस पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था या यह कि मुकदमा गंभीर अवैधताओं या अनियमितताओं या कारण से दूषित किया गया था।

कार्यवाहियों की प्रकृति और उस पर गलत धारणा का

9 (1964) 1 एस. सी. आर. 926 नसिब सिंह बनाम।

वास्तव में कोई वास्तविक परीक्षण नहीं हुआ था या कि

कि अभियुक्त पर फिर से मुकदमा चलाया जाए। पुनः विचारण का आदेश पूर्ववर्ती कार्यवाही को अभिलेख से मिटा देता है और इसका पर्दाफाश करता है। एक अन्य मुकदमे के लिए अभियुक्त व्यक्ति जो अभियोजक को प्रदान करता है

पहले प्रकट की गई दुर्बलताओं को सुधारने का अवसर

मुकदमा चलाया जाएगा, और सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा जब यह केवल अभियोजक को साक्ष्य का नेतृत्व करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी वह अपर्याप्त सराहना के कारण नेतृत्व करने की परवाह नहीं करता था। मामले की प्रकृति या अन्य कारणों से। [.....] "

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि निस्संदेह मुकदमे से पहले

मजिस्ट्रेट अनियमितताओं से पीड़ित थे और महत्वपूर्ण पहलुओं पर साक्ष्य की कमी थी; जो अपने आप में इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता था। एक पुनः परीक्षण का निर्देशन करना। यदि अतिरिक्त साक्ष्य को अभिलेख पर लाया जाना था, तो पुनः विचारण की आवश्यकता नहीं थी और 1898 की संहिता की धारा 428 (i) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता था।

22. उपरोक्त उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि एक पुनः परीक्षण नहीं होगा

आदेश दिया जब तक कि अपीलीय न्यायालय संतुष्ट न हो कि -

कार्यवाही का परीक्षण करने वाले न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था;

((i)

मुकदमा गंभीर अवैधताओं और अनियमितताओं से दूषित हो गया था।

((ख)

या कार्यवाही की प्रकृति के बारे में गलत धारणा के कारण जिसके परिणामस्वरूप कोई वास्तविक परीक्षण नहीं किया गया था;

या

(iii)

अभियोजक या अभियुक्त उनके कारणों से परे था। नियंत्रण को साक्ष्य प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने से रोका गया

आरोप की सामग्री और न्याय के हित में, अपीलीय न्यायालय पुनः विचारण का आदेश देना उचित समझता है।

उपरोक्त निर्णय से जो एक अन्य विशेषता सामने आती है, वह यह है कि पुनः विचारण का आदेश पहले की कार्यवाही को रिकॉर्ड से मिटा देता है और वर्तमान अभियुक्त को दूसरे मुकदमे के लिए उजागर करता है। यही कारण है कि

अदालत ने इस सिद्धांत की पुष्टि की है कि पुनः मुकदमे का आदेश केवल इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित सबूत पेश नहीं किया और यह नहीं पता था कि उनके मामले को कैसे साबित किया जाए।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. अगला महत्वपूर्ण निर्णय एम. पी. बनाम राज्य में दो न्यायाधीशों की पीठ का है। भुराजी 1 0। उस मामले में ग्यारह व्यक्तियों को आरोपित किया गया था।

आई. पी. सी. की धारा 149 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) के साथ पठित धारा 302 सहित अपराधों के लिए दायर किया गया। अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 148,323 और आई. डी. 1 के तहत दोषी ठहराया गया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपीलों के लंबित रहने के दौरान

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय ने गंगुला अशोक बनाम मामले में एक निर्णय दिया। ए. पी. 1 1 का राज्य, कि एस. सी./एस. टी. अधिनियम के तहत एक निर्दिष्ट अदालत के लिए प्रतिबद्ध कार्यवाही करना आवश्यक है।

मुकदमा चलाए जाने वाले अपराधों का संज्ञान। प्रारंभ में मध्य प्रदेश राज्य में, एक खंड पीठ ने 1995 में इसी स्थिति को अपनाया था। डिवीजन बेंच के इस फैसले को 1996 में एक पूर्ण पीठ ने खारिज कर दिया था। गंगुला अशोक (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले को देखते हुए, दोषी व्यक्तियों ने इस आधार पर मुकदमे को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया कि मजिस्ट्रेट द्वारा समर्पण के आदेश के अभाव में सत्र न्यायालय को मामले का संज्ञान लेने और मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को बरकरार रखा और आदेश दिया कि पूरे मुकदमे को रद्द कर दिया जाना चाहिए और फिर से सुनवाई का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय को इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा के कारण कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था। न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस ने न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन और स्वयं की पीठ के लिए लिखते हुए कहा कि अपीलीय न्यायालय मामले को फिर से सुनवाई के लिए तभी भेज सकता है जब 'न्याय की विफलता' हो और अदालत को निचली अदालत में मामलों की भारी लंबितता के बारे में जागरूक होना चाहिए। यह इस प्रकार देखा गयाः

" 8. ..... एक नए सिरे से परीक्षण अंतिम उपाय होना चाहिए और वह भी तभी जब इस तरह का पाठ्यक्रम इतना अनिवार्य हो जाए। यह.

"66 न्याय की विफलता" को टालने के लिए अत्यधिक आवश्यकता तक सीमित होना चाहिए। प्रक्रिया में कोई भी चूक या यहां तक कि अवैधता जो मामले के मूल को प्रभावित नहीं करती है, नए सिरे से मुकदमे का आदेश देने का आधार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलीय न्यायालय के पास साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पूर्ण शक्तियां हैं और यहां तक कि स्वयं अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लेना या ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को विचारण न्यायालय द्वारा एकत्र करने का निर्देश देना। लेकिन पिछली कार्यवाही से संबंधित भारी रिकॉर्ड को मिटाने के बाद सभी श्रमसाध्य अभ्यास को दोहराने के लिए, सभी को नीचे लाकर

10 (2001) 7 एससीसी 679 11 (2000) 2 एससीसी 504 नसिब सिंह बनाम।

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

व्यक्तियों को एक बार फिर अदालत में पूरे दोहराने के लिए

जमा करना समय, ऊर्जा और लागत की सरासर बर्बादी होगी।

जब तक कि अन्यथा न्याय की विफलता न हो। इसलिए कहा गया है

पाठ्यक्रम का सहारा तब लिया जा सकता है जब यह अप्रतिरोध्य हो जाता है

"न्याय की विफलता" को टालने के उद्देश्य से। द.

वास्तविकताओं और लंबित मामलों पर गंभीर प्रभाव की अनदेखी करें। विचारण न्यायालयों में मामले जो डॉकेट से भरे हुए हैं, और

उस आदेश से कई निर्दोष लोगों को कितनी कठिनाई होगी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक बार अदालत तक पहुंचने के लिए सारी परेशानी उठायी थी

और उसी मामले में उनके संस्करणों को अपदस्थ कर दिया। उनके लिए। और जनता को पूरे श्रम का पुनः अधिनियमन दे सकता है

यह धारणा कि कानून व्यावहारिक से अधिक पांडित्यपूर्ण है। कानून है

लोगों को पीड़ा पहुँचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण नहीं

लेकिन न्याय वितरण की प्रक्रिया के लिए "।

(जोर दिया गया)

23. ज़हिरा हबीबुल्ला शेख बनाम। गुजरात राज्य 1 2, यह न्यायालय

उन्होंने "बेस्ट बेकरी केस" की पुनः सुनवाई का निर्देश दिया था, जहां गुजरात राज्य में सांप्रदायिक दंगों के कारण नरसंहार हुआ था। निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया था और उसके खिलाफ अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अपील के साथ, उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दायर याचिकाओं और पुनः मुकदमे की मांग करने वाले निर्देश को भी खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अजीत पसायत ने दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहा कि अतिरिक्त साक्ष्य की प्रकृति और जिस दोषपूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया गया था, उसे देखते हुए यह फिर से सुनवाई का निर्देश देने के लिए एक उपयुक्त मामला थाः

" 73. हम संतुष्ट हैं कि यह एक उपयुक्त और उचित मामला है,

अतिरिक्त साक्ष्य की प्रकृति की पृष्ठभूमि

निष्पादित और निष्पादित तरीके से किया गया परीक्षण

दागी जाँच का आधार एक पुनः मुकदमा आवश्यक और अनिवार्य रूप से है। न्याय-वितरण प्रणाली को बचाने और संरक्षित करने के लिए कहा गया

निहित स्वार्थों से बेदाग और बेदाग। हमें नहीं होना चाहिए

समझा जाता है कि जब भी अतिरिक्त सबूत होता है

स्वीकार किया जाता है, पुनः परीक्षण एक आवश्यक परिणाम है। मामला हाथ में है

बिना किसी समानांतर और किसी भी मामले की तुलना के जहाँ

ऐसी शिकायतें करने की मांग की गई थी। यह अपने आप में खड़ा है

एक अनुकरणीय, अपनी तरह का विशेष, इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक है। यह आम तौर पर अपीलीय अदालत को तय करना होता है कि क्या अतिरिक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वयं निर्णय लेना उचित होगा या नए सिरे से सुनवाई का निर्देश देना उचित होगा, हालांकि, इस मामले के तथ्यों पर, पुनः सुनवाई के लिए निर्देश बन जाता है

अपरिहार्य "।

24. सत्यजीत बनर्जी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य 1 3, निचली अदालत ने अपीलार्थी को बरी कर दिया, जिस पर अपराधों का आरोप लगाया गया था

बाद में, हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच नहीं की गई और देर से प्राथमिकी दर्ज की गई और कहा गया कि निचली अदालत को अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए था दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत और अतिरिक्त साक्ष्य की जांच की। हालांकि, इसने अपीलार्थियों को बरी करने के फैसले को दरकिनार कर दिया और फिर से सुनवाई का निर्देश दिया। अपील पर, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बाधित नहीं किया क्योंकि निचली अदालत ने पहले ही नए सिरे से मुकदमा शुरू कर दिया था। तथापि, न्यायालय ने आगाह किया कि अपीलीय न्यायालय केवल अपवादात्मक मामलों में ही पुनः विचारण का निर्देश दे सकता है। इस अदालत ने बेस्ट बेकरी मामले को भी अलग किया और फैसला सुनाया

कि वह एक असाधारण मामला था और इसमें निर्धारित सिद्धांतों को सभी मामलों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। सामान्य नियम के रूप में, एक पुनः विचारण को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने और दोषपूर्ण जांच को सही करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता हैः

" 25. चूंकि बेस्ट बेकरी मामले पर मजबूत निर्भरता रखी गई है [(2004) 4 एस. सी. सी. 158: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 999] (गुजरात दंगों का मामला) सावधानी का एक नोट दर्ज करना आवश्यक है। यह एक असाधारण मामला था जिसमें यह न्यायालय आश्वस्त था कि पूरा अभियोजन तंत्र आरोपी यानी दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रहा था। यह भी पाया गया कि पूरा मुकदमा एक प्रहसन था। गवाह भयभीत थे और उन्हें अदालत से दूर रखने के लिए डराते थे। यह उपरोक्त असाधारण परिस्थितियों में है कि अदालत ने न केवल पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया, बल्कि नए अभियोजक की नियुक्ति के लिए आगे के निर्देश दिए।

पीड़ितों के उचित परामर्श के साथ। पुनः मुकदमा गुजरात राज्य से बाहर आयोजित करने का निर्देश दिया गया था।

26. बेस्ट बेकरी मामले [(2004) 4 एस. सी. सी. 158 में निर्धारित कानूनः 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 999] उपरोक्त असाधारण परिस्थितियों में,

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। पुनः विचारण के लिए निर्देश उन सभी या प्रत्येक मामले में नहीं दिया जाना चाहिए जहां अभियुक्त को पर्याप्त या विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में बरी किया जाता है। बेस्ट बेकरी मामले में [(2004) 4 एस. सी. सी. 158: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 999] पहला मुकदमा एक प्रहसन पाया गया और इसे "नकली परीक्षण" के रूप में वर्णित किया गया। इसलिए, पुनः मुकदमे का निर्देश वास्तव में एक वास्तविक मुकदमे के लिए था। इस तरह की असाधारण स्थिति ही बेस्ट बेकरी में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को उचित ठहरा सकती है।

उच्च न्यायालय, प्रारंभिक विचारण में पहले से अभिलिखित साक्ष्य को मामले के अभिलेख से मिटाया या मिटाया नहीं जा सकता है। ट्रायल जज को पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य और अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर मामले का फैसला करना होता है। पुनः परीक्षण पर दर्ज किया गया "।

25. मोहम्मद हुसैन बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार), 1 4 ने पुनः विचारण के प्रश्न से निपटा

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 के तहत। उस मामले में, एक सार्वजनिक परिवहन वाहन में बम विस्फोट करने के लिए एक विदेशी नागरिक पर मुकदमा चलाया गया था। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। अपील पर,

उच्च न्यायालय ने सजा की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया। हालाँकि, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि मुकदमे को दूषित कर दिया गया था। विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने आरोपी व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया, जबकि दूसरे ने एक समयबद्ध पुनः मुकदमे का आदेश दिया। एक बड़ी पीठ ने पुनः विचारण का निर्देश देने वाले दूसरे दृष्टिकोण की पुष्टि की, हालांकि यह देखते हुए कि असाधारण परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि अपराध की गंभीरता और उचित प्रक्रिया से इनकार को ध्यान में रखते हुए, एक पुनः मुकदमे की आवश्यकता थीः

" 41. दोषसिद्धि के फैसले से आपराधिक अपील की सुनवाई करने वाली अपीलीय अदालत के पास संहिता की धारा 386 के तहत आरोपी के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने का आदेश देने की शक्ति है। यह धारा 386 (बी) की खुली भाषा से स्पष्ट है। यद्यपि ऐसी शक्ति मौजूद है, लेकिन इसका नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपवादात्मक रूप से अभियुक्त पर नए सिरे से मुकदमा चलाने या फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाना चाहिए।

और दुर्लभ मामले और केवल तभी जब अपीलीय न्यायालय की राय में

न्याय की विफलता को रोकने के लिए ऐसा मार्ग अपरिहार्य हो जाता है। निश्चित रूप से इस शक्ति का उपयोग अभियोजन को अपने मामले में सुधार करने या कमी को भरने की अनुमति देने के लिए नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण नहीं है दूसरा मुकदमा; यह उसी मुकदमे और उसी अभियोजन की निरंतरता है। पुनः विचारण के लिए मार्गदर्शक कारक हमेशा न्याय की मांग होनी चाहिए। जाहिर है, संहिता की धारा 386 (बी) के तहत पुनः सुनवाई की शक्ति का प्रयोग, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जिसके लिए कोई स्ट्रैटजैकेट फॉर्मूला तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपील अदालत को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के लिए एक आरोपी के अधिकार की रक्षा करते हुए, लोगों को

जो कानून की सुरक्षा चाहते हैं, वे कानूनी प्रणाली में उम्मीद नहीं खोते हैं और समाज के हितों की पूरी तरह से अनदेखी नहीं की जाती है।

26. नर सिंह बनाम। हरियाणा राज्य 1 5, यह न्यायालय था

इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या अपीलीय न्यायालय पुनः विचारण का निर्देश दे सकता है यदि निचली अदालत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आवश्यक सभी प्रासंगिक प्रश्न अभियुक्त के समक्ष नहीं रखे जाते हैं। इस न्यायालय ने सकारात्मक रूप से प्रश्न का उत्तर दिया, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलीय न्यायालय अभियुक्त से पूछताछ के चरण से ऐसी परिस्थितियों में पुनः विचारण का निर्देश दे सकता है। क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का पालन न करने से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा थाः

" 30.3 . यदि अपीलीय न्यायालय की राय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन हुआ है या है

अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने की संभावना, अपीलीय

अदालत रिकॉर्ड करने के चरण से पुनः सुनवाई का निर्देश दे सकती है

अभियुक्त के बयान जहां से अनियमितता हुई है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त से पूछताछ के चरण से और विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त और बचाव पक्ष के गवाह, यदि कोई हो, की नए सिरे से जांच करने और उनका निपटारा करने का निर्देश दिया जा सकता है। मामला नए सिरे से "।

27. सी. आर. पी. सी. की धारा 386 (डी) (1) के प्रावधान अजय कुमार मामले में इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आए हैं।

घोषाल बनाम। बिहार राज्य 1 ("अजय कुमार घोषाल")। उस मामले में, निचली अदालत ने आरोपी को धारा 307 और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध का दोषी ठहराया। उस पर

15 (2015) 1 एससीसी 496 16 (2017) 12 एससीसी 699 नसीब सिंह बनाम।

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपील करते हुए, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार कर दिया और साक्ष्य दर्ज करने में जांच अधिकारी और निचली अदालत की ओर से खामियों की ओर इशारा करते हुए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए निचली अदालत को भेज दिया। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को नर सिंह (उपरोक्त) से इस आधार पर अलग करते हुए खारिज कर दिया कि नर सिंह में धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के दौरान अभियुक्त के सामने बैलिस्टिक रिपोर्ट और अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं रखे गए थे। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 'मुकदमे में खामियां' और कैसे चूक ने अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया है। न्यायमूर्ति भानुमति ने दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहाः

" 8. अपने निर्णय के पैरा 29 में, उच्च न्यायालय ने कुछ खामियों की ओर इशारा किया; लेकिन यह नहीं बताया कि इस तरह की कथित खामियों के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है जिससे पुनः मुकदमे की आवश्यकता हुई है। जांच में या "मुकदमे के संचालन" में कुछ खामियां पुनः मुकदमे को निर्देशित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। पहला अपीलीय न्यायालय होने के नाते उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह साक्ष्य की जांच करे और ऐसे साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचे और जांच करे कि क्या ऐसी खामियां वास्तव में अभियोजन को प्रभावित करती हैं। मामला; या ऐसी खामियों के परिणामस्वरूप वास्तव में न्याय की विफलता हुई है।

11. यद्यपि "पुनः विचारण" शब्द का उपयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 (बी) (आई) के तहत किया जाता है, लेकिन इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना है।

केवल असाधारण मामलों में, जहां अपीलीय न्यायालय का समाधान हो कि चूक या अनियमितता न्याय की विफलता का कारण बनी है। पुनः विचारण के लिए जो परिस्थितियाँ मौजूद होनी चाहिए, वे ऐसी होनी चाहिए कि जहां मुकदमा न्यायालय द्वारा किया गया था, जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, या मुकदमा गंभीर रूप से दूषित था।

कार्यवाहियों की प्रकृति की गलत धारणा के कारण अवैधता या अनियमितता। पुनः विचारण के लिए आदेश उन मामलों में पारित किया जा सकता है जहां मूल परीक्षण कुछ विशेष कारणों से संतोषजनक नहीं रहा है जैसे कि गलत स्वीकार या साक्ष्य की गलत अस्वीकृति या अदालत ने कुछ गवाहों को सुनने से इनकार कर दिया है जो

उन्हें सुना जाना चाहिए था।

डी नोवो ट्रायल की अवधारणा को समझाते हुए, न्यायालय ने कहाः

" 12. " नव परीक्षण का अर्थ है एक अपीलीय द्वारा आदेशित "नया परीक्षण"।

असाधारण मामलों में अदालत जब मूल मुकदमा कानून द्वारा निर्धारित तरीके से निर्धारण करने में विफल रहा। "[2021] 13 एस. सी. आर.

इस सिद्धांत को इसाक बनाम में दोहराया गया था। रोनाल्ड चेरियन 1 7 और

✓ पाप्पा जेबामनी बनाम। गणेशन 1 8.

28. इस न्यायालय के निर्णयों से उभरने वाले सिद्धांत

1 इसे निम्नानुसार तैयार किया जा सकता है:

अपीलीय न्यायालय केवल 'असाधारण' मामले में पुनः विचारण का निर्देश दे सकता है।

((i)

न्याय की विफलता को रोकने के लिए परिस्थितियाँ;

((ख)

जाँच में केवल खामियाँ ही पर्याप्त नहीं हैं पुनः परीक्षण के लिए निर्देश। केवल तभी जब खामियां इतनी गंभीर हों कि

पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, क्या पुनः विचारण का निर्देश दिया जा सकता है;

यह निर्धारित करना कि क्या एक 'घटिया' जांच/मुकदमा

(iii)

पक्ष को पूर्वाग्रहित किया है, साक्ष्य के गहन अध्ययन के अनुसार प्रत्येक मामले के तथ्यों पर आधारित होना चाहिए;

((iv) यह पर्याप्त नहीं है यदि अभियुक्त/अभियोजन पक्ष एक फेशियल बनाता है।

तर्क है कि न्याय की विफलता हुई है

एक पुनः परीक्षण की गारंटी। अपीलार्थी न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह पुनः विचारण का निर्देश दे कि वह न्याय की विफलता की प्रकृति पर एक तर्कपूर्ण आदेश प्रदान करे।

साक्ष्य और जांच प्रक्रिया;

(v)

यदि किसी मामले को फिर से सुनवाई के लिए निर्देशित किया जाता है, तो साक्ष्य और अभिलेख पिछले मुकदमे का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है; और

(vi) निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं, जिनका इरादा नहीं है

संपूर्ण, जब न्यायालय न्याय की विफलता के आधार पर पुनः विचारण का आदेश दे सकता हैः

निचली अदालत ने मुकदमे को आगे बढ़ाया है

अ)

अधिकार क्षेत्र का अभाव; मुकदमे को अवैधता या अनियमितता से दूषित किया गया है।

ख)

प्रकृति की गलत धारणा के आधार पर

कार्यवाही; और

अभियोजक को अक्षम कर दिया गया है या इससे रोका गया है

(ग)

आरोप की प्रकृति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे को एक प्रहसन, छल या छल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

18) 2 एस. सी. सी. 278 14) 14 एस. सी. सी. 477 नसिब सिंह बनाम

B. संयुक्त परीक्षण को निर्देशित करने की शक्ति

30. सी. आर. पी. सी., 1973 का अध्याय 17 "आरोप" से संबंधित है। धारा 211 से 217 तक वाले भाग ए का शीर्षक "शुल्क का रूप" है। भाग बी धारा 218 से 224 तक को शामिल करते हुए इसका शीर्षक "आरोपों का संयोजक" है। धारा 218 इस प्रकार प्रदान करती हैः

" 218. विशिष्ट अपराधों के लिए अलग-अलग आरोप। (1) प्रत्येक विशिष्ट अपराध, जिसके लिए कोई व्यक्ति अभियुक्त है, के लिए एक अलग आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगाः

बशर्ते कि जहां अभियुक्त व्यक्ति, एक आवेदन द्वारा इस प्रकार लिखते हुए, मजिस्ट्रेट की इच्छा है और मजिस्ट्रेट की राय है कि ऐसे व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है, मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बनाए गए सभी या किसी भी संख्या में आरोपों का एक साथ परीक्षण कर सकता है।

व्यक्ति। (2) उप-धारा (1) में कुछ भी कार्य के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

धारा 219,220,221 और 223 के प्रावधान।

व्यक्ति के पूर्वाग्रहग्रस्त होने की संभावना नहीं है, मजिस्ट्रेट व्यक्ति के खिलाफ बनाए गए सभी या किसी भी आरोप का एक साथ परीक्षण कर सकता है। धारा 218 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) की कोई भी बात धारा 219 से लेकर 221 और 223 के प्रावधानों के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी। धारा 219 (1) में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति पर उसी के एक से अधिक अपराध का आरोप लगाया जाता है ऐसे अपराध, जो सभी बारह महीने के अंतराल के भीतर किए जाते हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के संबंध में हों या अन्यथा, उन पर आरोप लगाया जा सकता है और उनमें से तीन के लिए एक मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 219 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि अपराध उसी प्रकार के हैं जब वे [2021] 13 एस. सी. आर.

आई. पी. सी. की उसी धारा या किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत समान सजा के साथ दंडनीय हैं। धारा 220 (1) में कहा गया है कि यदि कृत्यों की एक श्रृंखला में एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए जाते हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए उस पर एक ही मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है। उप-धारा (2) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर अपराध के लिए एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है जब -

ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति पर आपराधिक विश्वासघात या संपत्ति के बेईमान दुरुपयोग के एक या अधिक अपराधों का आरोप लगाया जाता है

धारा 212 की उप-धारा (2) या धारा 219 की उप-धारा (1) में उपबंध किया गया है और व्यक्ति पर उस अपराध (अपराधों) को करने में सुविधा प्रदान करने या छिपाने के उद्देश्य से खातों के जालीकरण के एक या अधिक अपराध करने का आरोप लगाया गया है। धारा 220 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि यदि कथित कार्य उस समय लागू किसी कानून की दो या अधिक अलग-अलग परिभाषाओं के भीतर आने वाले अपराध का गठन करते हैं, जिसके द्वारा अपराधों को परिभाषित या दंडित किया जाता है, तो अभियुक्त व्यक्ति पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 220 की उप-धारा (4) में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जिसमें एक या एक से अधिक कार्य, अपने आप में या अपने आप में एक अपराध का गठन करेंगे, जब एक अलग अपराध का गठन किया जाता है; उस स्थिति में, आरोपी व्यक्ति पर उस अपराध के लिए एक मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है।

इस प्रकार के कृत्यों द्वारा गठित किया जाता है जब संयुक्त किया जाता है और ऐसे किसी एक या अधिक कृत्यों द्वारा गठित किसी भी अपराध के लिए। धारा 222 में यह प्रावधान है कि जहां ए

व्यक्ति पर कई विवरणों वाले अपराध का आरोप लगाया जाता है, जिनमें से केवल कुछ का संयोजन एक मामूली अपराध है और ऐसा संयोजन साबित होता है लेकिन शेष विवरण साबित नहीं होते हैं, उसे मामूली अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, हालांकि उस पर इसका आरोप नहीं लगाया गया था। धारा 222 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है और तथ्य साबित हो जाते हैं जो इसे एक मामूली अपराध में बदल देते हैं, तो उसे मामूली अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, हालांकि उस पर इसका आरोप नहीं लगाया जाता है।

32. धारा 223 इस प्रकार प्रदान करती हैः - " 223. किन व्यक्तियों से संयुक्त रूप से शुल्क लिया जा सकता है। निम्नलिखित

व्यक्तियों पर आरोप लगाया जा सकता है और एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, अर्थात्:

(क) पाठ्यक्रम में किए गए एक ही अपराध के आरोपी व्यक्ति

एक ही लेनदेन का;

((ख) अपराध के अभियुक्त व्यक्ति और अपराध के अभियुक्त व्यक्ति

इस तरह के अपराध के लिए उकसाना या करने का प्रयास; एन. ए. एस. आई. बी. सिंह v.

(ग) एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराधों के आरोपी व्यक्ति, उनके द्वारा संयुक्त रूप से की गई धारा 219 के अर्थ के भीतर

बारह महीने की अवधि;

(घ) विभिन्न अपराधों के अभियुक्त व्यक्ति

एक ही लेन-देन का पाठ्यक्रम;

(ई) चोरी, जबरन वसूली सहित किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति,

प्राप्त करना या बनाए रखना, या निपटान या छिपाने में सहायता करना जिसकी संपत्ति का कब्जा कथित रूप से हस्तांतरित किया गया है

प्रथम-नामित व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध द्वारा, या ऐसे किसी अंतिम-नामित अपराध को करने के लिए उकसाना या करने का प्रयास करना;

(च) भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और 414 के तहत अपराधों के आरोपी व्यक्ति

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या उन धाराओं में से कोई भी

एक अपराध द्वारा स्थानांतरित; (छ) संविधान के अध्याय बारह के तहत किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति।

नकली सिक्के से संबंधित भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) और उक्त अध्याय के अधीन किसी अन्य अपराध के अभियुक्त व्यक्ति

एक ही सिक्के से संबंधित, या उकसाने या करने का प्रयास करने से संबंधित ऐसा कोई अपराध; और पूर्व भाग में निहित प्रावधान

इस अध्याय की धारा, जहाँ तक हो सके, ऐसे सभी प्रभारों पर लागू होगीः

बशर्ते कि जहां कई व्यक्तियों पर अलग-अलग आरोप लगाए जाते हैं

अपराध और ऐसे व्यक्ति किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं।

इस धारा में विनिर्दिष्ट, 1 [मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय]

यदि ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा कर सकते हैं और

[यदि वह या वह संतुष्ट है] कि ऐसे व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होंगे

इससे प्रभावित, और ऐसा करना समीचीन है, ऐसे सभी व्यक्तियों को आजमाएँ

एक साथ।

(जोर दिया गया)

33. धारा 223 "अभियुक्त व्यक्ति" अभिव्यक्ति से शुरू होती है।

इस प्रकार प्रावधान तब लागू होता है जब एक से अधिक व्यक्ति

किसी अपराध या अपराध के किए जाने में शामिल। धारा 223

खंड (ए) से (जी) तक-ऐसी स्थितियाँ जहाँ व्यक्तियों पर आरोप लगाया जा सकता है एक साथ रोया। खंड (ए) में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहां व्यक्ति

उसी दौरान किए गए एक ही अपराध का अपराधकार्रवाई। खंड (बी) एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करता है जहां [2021] 13 एस. सी. आर. के आरोपी व्यक्ति।

आरोप लगाया जाए और एक साथ मुकदमा चलाया जाए। खंड (ई), (एफ) और (जी) उसमें परिकल्पित विशिष्ट स्थितियों से संबंधित हैं। धारा 223 के परंतुक में कहा गया है कि जहां कई व्यक्तियों पर अलग-अलग अपराधों का आरोप लगाया जाता है और ऐसे व्यक्ति खंड (ए) से (जी) में निर्दिष्ट श्रेणियों के दायरे में नहीं आते हैं, तो मजिस्ट्रेट, यदि ऐसे व्यक्ति लिखित रूप में ऐसा चाहते हैं, और यदि उनका समाधान हो जाता है कि वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे, और -

यदि ऐसा करना समीचीन है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को एक साथ आज़माएँ। 34. पुरानी संहिता की धारा 239 (डी), जो सी. आर. पी. सी. 1973 की धारा 223 (डी) से मेल खाती है, की व्याख्या इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम. चीमलपति गणेश्वर राव ने प्रावधान को पुरानी संहिता की धारा 225 (1) के साथ जोड़कर, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 219 (1) है। उस मामले में, साथ में दो उत्तरदाता

दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए दो अन्य लोगों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया गया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अन्य बातों के साथ-साथ उनमें से प्रत्येक द्वारा किए गए दो या दो से अधिक अपराधों का संयुक्त मुकदमा अवैध है। न्यायमूर्ति मुधोलकर ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि वाक्यांश "एक ही लेन-देन के दौरान किए गए अपराध" का अर्थ होगा वे अपराध जो समय या स्थान के निकटता में किए जाते हैं, या उद्देश्य और योजना की एकता में किए जाते हैं:

" 25. श्री चारी के अनुसार धारा 235 (1) को धारा 239 पर एक प्रबल प्रभाव के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि जबकि यह इस तरह से एक साथ जुड़े कार्यों पर विचार करता है कि वे एक ही रूप बना सकें। लेन-देन के
परिणामस्वरूप एक से अधिक अपराध होते हैं, धारा 239 (डी) उसी अवधि में किए गए अपराधों पर विचार करती है।

लेन-देन और कुछ नहीं। सवाल यह है कि क्या धारा 239 (डी) के प्रयोजनों के लिए इससे अधिक कुछ पता लगाना आवश्यक है कि एक ही लेन-देन के दौरान विभिन्न अपराध किए गए थे या क्या यह आगे पता लगाया जाना चाहिए कि क्या कार्य आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धारा 235 (1) के तहत क्या पता लगाया जाना है

19 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1850 नसिब सिंह बनाम।

एक ही लेन-देन बनाने के लिए, लेकिन धारा 239 में "एक ही लेन-देन" शब्दों के बाद "इस तरह से एक साथ जुड़े हुए" शब्दों को दोहराया नहीं जाता है। तब यह पता लगाना होगा कि क्या इन शब्दों को धारा 239 के सभी खंडों में भी पढ़ा जाना चाहिए जो एक ही लेन-देन को संदर्भित करते हैं। धारा 235 (1), एक से अधिक अपराधों के लिए संयुक्त मुकदमे का प्रावधान करते हुए, इंगित करती है कि अधिनियमों और लेनदेन के बीच संबंध होना चाहिए। इस प्रावधान के अनुसार इस प्रकार अधिनियमों की एक श्रृंखला के बीच एक संबंध होना चाहिए, इससे पहले कि उन्हें उसी का गठन माना जा सके। लेन-देन। "एक ही लेन-देन" का क्या अर्थ है, यह संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं है। वास्तव में, यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना हमेशा मुश्किल होगा कि अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। क्या किसी लेन-देन को समान माना जा सकता है, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों पर निर्भर करेगा और हमें लगता है कि विधायिका के पास जो कुछ है उसकी परिभाषा देना एक कठिन काम है।

जानबूझकर अनिर्धारित छोड़ दिया। हमें किसी भी न्यायालय का एक भी निर्णय नहीं मिला है जिसने अभिव्यक्ति को परिभाषित करने का कठिन कार्य शुरू किया हो। लेकिन आम तौर पर यह सोचा जाता है कि जहां समय या स्थान की निकटता या उद्देश्य की एकता हो

और कृत्यों की एक श्रृंखला के संबंध में कार्रवाई की रचना या निरंतरता, यह अनुमान लगाना संभव हो सकता है कि वे इसका हिस्सा हैं

एक ही लेनदेन। तथापि, यह आवश्यक नहीं है कि लेन-देन पर विचार करने के लिए इनमें से प्रत्येक तत्व सह-अस्तित्व में होना चाहिए। उसी तरह। लेकिन अगर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कई कार्य उद्देश्य या योजना की एकता दिखाते हैं जो यह इंगित करने के लिए एक मजबूत परिस्थिति होगी कि वे कार्य एक ही लेन-देन का हिस्सा हैं। हमें लगता है कि कृत्यों की एक श्रृंखला के बीच संबंध उन कृत्यों के लिए एक ही लेन-देन का गठन करने के लिए एक आवश्यक घटक है और इसलिए, धारा 239 के खंड (ए), (सी) और (डी) में "इस तरह से एक साथ जुड़े हुए" शब्दों की अनुपस्थिति से बहुत कम फर्क पड़ेगा। अब ए

लेन-देन में एक पृथक कार्य शामिल हो सकता है या इसमें कृत्यों की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है। लेन-देन का गठन करने वाले कार्यों की श्रृंखला एक दूसरे के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी होनी चाहिए और यदि उनमें से कुछ स्वतंत्र रूप से अलग हैं तो वे एक ही लेनदेन का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि एक अलग लेनदेन या लेनदेन का गठन करेंगे। इसलिए, भले ही धारा 235 (1) में अकेले "एक ही लेन-देन" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया हो, इसका अर्थ [2021] 13 एस. सी. आर. होता।

लेन-देन जिसमें या तो एक अधिनियम या एक श्रृंखला शामिल है

संबंधित कार्य। धारा 239 के खंड (ए), (सी) और (डी) के साथ-साथ धारा 235 (1) में होने वाले "समान लेन-देन" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार समान अर्थ दिया जाना चाहिएः

क़ानूनों के निर्माण का सामान्य नियम [.] ”

पीठ ने कहा कि एक अलग परीक्षण करना नियम है और एक संयुक्त अपवाद है। हालाँकि, यदि अभियुक्त व्यक्ति एक ही लेन-देन के हिस्से के रूप में किराए के अपराध करते हैं, तो एक संयुक्त परीक्षण नियम होगा जब तक कि यह साबित न हो जाए कि संयुक्त परीक्षण से कठिनाई होगीः

“ 28. [...] इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि इस मामले में सही बताया गया है, अलग परीक्षण सामान्य नियम है और संयुक्त परीक्षण एक अपवाद है। लेकिन जबकि इस सिद्धांत की सराहना करना और उसका पालन करना आसान है।

केवल व्यक्ति ही अभियुक्त होता है और उसकी बातचीत या हस्तक्षेप एक से अधिक व्यक्तियों के कार्य सामने नहीं आते हैं, जहां एक ही कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, वहां सभी कई व्यक्तियों पर अलग-अलग मुकदमा चलाना न केवल असुविधाजनक बल्कि अनुचित होगा।

इससे परीक्षणों की अनावश्यक बहुलता पैदा होगी। गवाहों के लिए परिहार्य असुविधा और परिहार्य

सार्वजनिक समय और धन का व्यय। अलग-अलग मुकदमों की प्रक्रिया का पालन करके अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई संबंधित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जहाँ, हालाँकि, कई अपराधों का आरोप लगाया जाता है

कई अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया हो सकता है

अलग-अलग परीक्षणों के सामान्य नियम का पालन करना अधिक उचित है। लेकिन यहाँ, फिर से, अगर उन अपराधों को पूरी तरह से नहीं होने का आरोप लगाया जाता है असंबद्ध लेकिन एक ही लेन-देन के हिस्से के रूप में

एकमात्र विचार जो अलग-अलग परीक्षणों को उचित ठहराएगा अभियुक्त को होने वाली शर्मिंदगी या कठिनाई हो

लोग अपनी रक्षा करने में "।

हालाँकि, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने पक्षकारों की गलतफहमी के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश निर्धारित करने में गलती की थी। यह.

बी ने कहा कि अदालत इस आधार पर दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार कर सकती थी कि इस तरह की गलतफहमी न्याय की विफलता का कारण बनी

एड और केवल इसलिए नहीं कि पार्टियों की गलतफहमी हैः

" 31. भले ही हम यह मान लें कि धारा 233 से 239 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आरोपों का गलत जवाब दिया गया है।

संहिता, उच्च न्यायालय को दरकिनार करने में अक्षम था

निश्चित एन. ए. एस. आई. बी. सिंह v. पर आए बिना उत्तरदाताओं को दोषसिद्धि।

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि गलत तरीके से न्याय की विफलता हुई थी। यह निर्णय पूरी तरह से डॉसन पर आधारित तर्क को पूरा करता है। मामला [(1960) 1 सभी ई. आर. 558]। केवल इसलिए कि अभियुक्त व्यक्तियों पर बड़ी संख्या में अपराधों का आरोप लगाया जाता है और मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है, अपील न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को तब तक दरकिनार नहीं किया जा सकता जब तक कि यह वास्तव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि अभियुक्त व्यक्ति थे

उनके बचाव में शर्मिंदा होने के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई। इन सभी कारणों से हम आरोपों के गलत जवाब के आधार पर विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

और शुल्कों की बहुलता "।

सी. आर. पी. सी. की धारा 223 (डी) पर रखी गई इस व्याख्या पर आर. दिनेश कुमार बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय में भरोसा किया गया था। राज्य 20.

35. चंद्र भाल बनाम में। यूपी 2 1 का राज्य, अपीलार्थी था

धारा 302 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया, जबकि दो सह-अभियुक्तों, जिन पर दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था, उन्हें बरी कर दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। इस न्यायालय के समक्ष यह सवाल उठाया गया था कि जिस घटना में मृतक को अपीलार्थी ने गोली मारी थी, उसमें कुछ गोली लगने से अन्य लोग भी मारे गए और घायल हो गए। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उन घटनाओं के लिए मुकदमे अलग से आयोजित किए गए थे जो

अपीलार्थी ने अपने मुकदमे में पक्षपात किया। अपीलार्थी की याचिका यह थी कि आत्मरक्षा के अनुरोध पर उन मामलों में अपीलार्थी को बरी करना भी बाद के मुकदमे में उसकी आत्मरक्षा की याचिका के निर्णायक प्रमाण के रूप में काम करेगा, और मुकदमे को एक साथ नहीं जोड़ना उसके लिए पूर्वाग्रहपूर्ण होगा। जबकि सी. आर. पी. सी. की धारा 223 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ के माध्यम से कहाः

" 5. संहिता के प्रावधानों की ओर रुख करते हुए, धारा 233 प्रत्येक विशिष्ट अपराध के लिए एक अलग आरोप और ऐसे प्रत्येक आरोप के लिए अलग मुकदमे का प्रावधान करने वाले सामान्य अनिवार्य नियम का समावेश करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य नियम में अंतर्निहित व्यापक उद्देश्य अभियुक्त को सटीक आरोप की सूचना देना और उसे उस भ्रम से अपने बचाव में शर्मिंदा होने से बचाना है जो एक ही आरोप में अलग-अलग अपराधों में एक साथ आने और एक ही मुकदमे में कई आरोपों को जोड़ने से होने की संभावना है। हालाँकि, इस सामान्य नियम के अपवाद हैं और वे पाए जाते हैं

20 (2015) 7 एससीसी 497 21 1971 (3) एससीसी 983 [2021] 13 एस. सी. आर.

धारा 234,235,236 और 239। इन अपवादों में मामले शामिल हैं। जिसमें एक से अधिक अपराध के लिए एक मुकदमे पर विचार नहीं किया जाता है।

अभियुक्त को उसके बचाव में शर्मिंदा करने या पूर्वाग्रह करने की संभावना। द.

हालाँकि, आरोपों के जुड़ाव का मामला सामान्य विवेकाधिकार में है न्यायालय और न्यायिक को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत पर विचार

इस विवेकाधिकार का प्रयोग शर्मिंदगी से बचने के लिए होना चाहिए

आरोपों के युग्मक द्वारा बचाव। अपीलार्थी के तर्क पर

विचार की आवश्यकता वाला एकमात्र प्रावधान धारा 235 (1) है जो

यह बताता है कि यदि कृत्यों की एक श्रृंखला में इतना जुड़ा हुआ है कि

एक ही लेन-देन से एक से अधिक अपराध किए जाते हैं

उसी व्यक्ति द्वारा तब उस पर आरोप लगाया जा सकता है और एक पर मुकदमा चलाया जा सकता है

ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है। यह अपवाद दूसरे की तरह है

अपवाद केवल अधिक अपराधों के संयुक्त मुकदमे की अनुमति देते हैं।

एक से अधिक। यह न तो संयुक्त परीक्षण को अनिवार्य बनाता है और न ही करता है।

यह अलग-अलग परीक्षणों को रोकता है या प्रतिबंधित करता है। धारा की उप-धारा (2)

403 संहिता में यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति बरी या दोषी ठहराया गया है

अपीलार्थी का अलग मुकदमा टिकाऊ है और उसके वकील ने सलाह दी जाती है कि हमारे सामने किसी पर भी गंभीरता से दबाव न डाला जाए।

(जोर दिया गया)

36. न्यायालय ने कहा कि आरोप पर एक अलग मुकदमा

एक 'एल' की हत्या का कारण बनना कानून के विपरीत नहीं था, भले ही इस अपराध का दूसरों के साथ संयुक्त मुकदमा स्वीकार्य हो। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले पर मुकदमे की शुरुआत में निचली अदालत द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था और मुकदमे के परिणाम के आधार पर इसका निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि उसका ध्यान अभिलेख पर किसी भी सामग्री की ओर नहीं खींचा गया था जो यह सुझाव देती है कि एक अलग मुकदमे के परिणामस्वरूप अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ था। अंत में यह अभिनिर्धारित किया गया कि आत्मरक्षा की याचिका और यह तर्क कि दोनों अपराध एक ही लेन-देन के दौरान किए गए थे, दोनों अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया था, और यह कि अदालत तथ्य

के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसलिए निर्णय संयुक्त परीक्षणों पर तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को निर्धारित करता हैः

((i) एक अलग मुकदमा कानून के विपरीत नहीं है, भले ही एक संयुक्त मुकदमा अन्य अपराधों के साथ अपराधों की अनुमति है; एन. ए. एस. आई. बी. सिंह बनाम।

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक संयुक्त परीक्षण की संभावना पर निर्णय लेना होगा

((ख)

मुकदमे की शुरुआत और परिणाम के आधार पर नहीं

मुकदमा चलाना; और

असली परीक्षा यह है कि क्या कोई पूर्वाग्रह बना हुआ है।

(iii)

एक अलग परीक्षण के परिणामस्वरूप। दूसरे शब्दों में, एक संयुक्त परीक्षण के निर्देश के साथ एक पुनः परीक्षण का आदेश केवल तभी दिया जाएगा जब एक न्याय की विफलता।

37. एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड बनाम। केंद्रीय ब्यूरो

जांच 22, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए उन सिद्धांतों को दोहराया जो चंद्र भाल (उपरोक्त) में प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही संयुक्त परीक्षण करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 में निर्धारित शर्तों को पूरा कर लिया गया हो, लेकिन संयुक्त परीक्षण का निर्देश देना वांछनीय नहीं हो सकता है यदि एक संयुक्त परीक्षण (i) मुकदमे को लंबा करेगा; (ii) न्यायिक समय की अनावश्यक बर्बादी करेगा; और (iii) भ्रमित करेगा या पूर्वाग्रह पैदा करेगा।

अभियुक्त को, जिसने केवल किसी मामूली अपराध में भाग लिया था।

38. संयुक्त विचारण पर इस न्यायालय के निर्णयों से और अलग

परीक्षणों में निम्नलिखित सिद्धांतों को तैयार किया जा सकता हैः

((i)

धारा 218 में प्रावधान है कि अलग-अलग परीक्षण किए जाएंगे।

किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अलग-अलग अपराधों के लिए।

धारा 219-221 इस सामान्य नियम के अपवाद प्रदान करती है। यदि कोई व्यक्ति इन अपवादों के अंतर्गत आता है, तो उन अपराधों के लिए एक संयुक्त मुकदमा जिसके लिए एक व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है

आयोजित किया गया। इसी तरह, धारा 223 के तहत, विभिन्न अपराधों के लिए आरोपित व्यक्तियों के लिए एक संयुक्त मुकदमा आयोजित किया जा सकता है।

प्रावधान में खंड अलग से या एक संयोजन पर हैं

संतुष्ट;

((ख)

धारा 218 में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करते समय 223 संयुक्त और अलग-अलग परीक्षण करने पर, निचली अदालत को दो-आयामी परीक्षण लागू करना चाहिए, अर्थात्, (i) संयुक्त/अलग परीक्षण करने से अभियुक्त के बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या नहीं; और/या (ii) संयुक्त/अलग परीक्षण का संचालन करना या नहीं।

अलग मुकदमे से न्यायिक देरी होगी।

(iii)

संयुक्त परीक्षण आयोजित करने की संभावना होनी चाहिए

मुकदमे की शुरुआत में निर्धारित किया गया और उसके बाद नहीं

मुकदमे के परिणाम के आधार पर मुकदमा चलाया जाता है। अपीलीय न्यायालय

इस तर्क की वैधता का निर्धारण कर सकता है कि केवल इस आधार पर एक अलग/संयुक्त परीक्षण होना चाहिए था कि क्या परीक्षण ने अभियुक्त के अधिकार को पूर्वाग्रहित किया था या अभियोजक;

((iv) चूँकि वे प्रावधान जो एक अपवाद को शामिल करते हैं, उनका उपयोग करते हैं -

वाक्यांश 'मई' एक संयुक्त परीक्षण के संचालन के संदर्भ में, एक अलग परीक्षण आमतौर पर कानून के विपरीत नहीं होता है, भले ही एक संयुक्त परीक्षण आयोजित किया जा सके, जब तक कि एक संयुक्त परीक्षण का कारण साबित न हो जाए। न्याय की विफलता; और

(v)

अभियुक्त के दोषसिद्धि या बरी होने को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

केवल इस आधार पर कि एक संयुक्त या एक अलग परीक्षण की संभावना थी। दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करना या

बरी होने पर, यह साबित किया जाना चाहिए कि संयुक्त या अलग मुकदमे के कारण पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, जैसे -

मामला हो सकता है।

39. इस स्तर पर, वर्तमान मामले में 2012 की एफ. आई. आर. 187 में 29 आर. वाई. 2015 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रणहौला के फैसले के लिए यह आवश्यक होगा। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप

उस पर उन्होंने बलात्कार मामले में एक दागी जांच की थी (एफ़. आई. आर.)

अभियुक्त की मदद करने के लिए और मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए। विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को बरी करते हुए पाया कि

((i)

आत्महत्या पत्र में अपीलार्थी का नाम नहीं है। मूल सुसाइड नोट जिसे कब्जे में लिया गया था

((ख)

पीडब्लू 22 (जाँच अधिकारी) द्वारा अपीलार्थी द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई थी और पीडब्लू 22 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया था कि प्रारंभिक जाँच

अपीलार्थी द्वारा संचालित किए जाने के दौरान उसके द्वारा गोद लिया गया था

आगे की जाँच; और

(iii) सुजीत कौर-पीडब्लू 12, हरमीत कौर-पीडब्लू 2 और पीडब्लू 21 ने अपने साक्ष्य के दौरान कोई आरोप नहीं लगाया था।

अपीलार्थी के विरुद्ध लेकिन इसके विपरीत कहा गया था कि वह

एक उचित जांच की गई थी।

नसीब सिंह बनाम। पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

साक्ष्य की सराहना करने पर, विचारण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य का अभाव था कि अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 376,217 और 218 के तहत कोई भी अपराध किया है।

40. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए पुनः विचारण का आदेश दिया है कि एफ. आई. आर. 96 और एफ. आई. आर. 187 में एक अलग परीक्षण ने दोनों के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया है। पक्षकार उतने ही अन्य मामले में साक्ष्य पर भरोसा करने में असमर्थ थे। इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:

((i)

न्यायालय के पास दोनों के लिए संयुक्त मुकदमा चलाने का विवेकाधिकार है

कथित अपराध, अर्थात्, अभियोजक का सामूहिक बलात्कार और परिणामस्वरूप आत्महत्या और इसके लिए उकसाना क्योंकि वे हैं

सी. आर. पी. सी. की धारा 223 (डी) को ध्यान में रखते हुए संबद्ध;

((ख)

अभियोजन और बचाव पक्ष तथ्यों पर भरोसा कर रहे हैं

और दोनों मामलों के साक्ष्य-एफ. आई. आर. 96 और 187। लेकिन चूंकि मुकदमे अलग से आयोजित किए गए थे, इसलिए नाथी लाल (उपरोक्त) को देखते हुए, अदालत दूसरे मामले में साक्ष्य का उल्लेख करने में असमर्थ थी। यदि दोनों एफ. आई. आर. एस. से उत्पन्न होने वाले मुकदमों में साक्ष्य को अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए अदालत द्वारा एक साथ स्कैन नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष, यह न्याय की विफलता की ओर ले जाएगा; और

(iii) यद्यपि नसीब सिंह (अपीलार्थी) को पूरी स्थिति और न्याय की विफलता के कोण को ध्यान में रखते हुए, एफ. आई. आर. 96 और एफ. आई. आर. 187 दोनों में बरी कर दिया गया था।

पुनः सुनवाई के लिए रिमांड पर लिया जाए।

41. नाथी लाल मामले में इस अदालत के फैसले को एक आदेश के रूप में बताया गया है जिसमें कहा गया है कि क्रॉस मामलों का निपटान दो अलग-अलग मामलों द्वारा किया जाना चाहिए।

दूसरे मामले में साक्ष्य का उल्लेख किए बिना निर्णय। आदेश को पूरी तरह से नीचे निकाला गया है:

" 1. विशेष अवकाश दिया गया। दोनों पक्षों को सुना।

2. हम सोचते हैं कि वर्तमान जैसे मामले में, जहां परस्पर विरोधी मामले हैं, अपनाए जाने की निष्पक्ष प्रक्रिया यह निर्देश देना है कि एक ही विद्वान न्यायाधीश को एक के बाद एक दोनों परस्पर विरोधी

मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। एक मामले में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद, वह

तर्कों को सुनना चाहिए लेकिन उसे निर्णय सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद उसे क्रॉस केस की सुनवाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए और [2021] 13 एस. सी. आर. के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी सबूतों को दर्ज करने के लिए उसे तर्कों को सुनना होगा लेकिन सुरक्षित रखना होगा

उस मामले में निर्णय। एक ही विद्वान न्यायाधीश को

इसके बाद दो अलग-अलग निर्णयों द्वारा मामलों का निपटारा करें। प्रत्येक मामले का निर्णय लेने में, वह केवल उस विशेष मामले में दर्ज साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है। क्रॉस मामले में दर्ज साक्ष्य पर गौर नहीं किया जा सकता है। न ही न्यायाधीश क्रॉस मामले में जो भी तर्क दिया जाता है उससे प्रभावित हो सकता है। प्रत्येक मामले का निर्णय उस साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए जो प्रस्तुत किया गया है

क्रॉस मामले में आग्रह किए गए साक्ष्य या तर्कों द्वारा। लेकिन दोनों निर्णय एक के बाद एक एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा सुनाए जाने चाहिए।
3. हम इस अपील को आंशिक रूप से उपरोक्त सीमा तक स्वीकार करते हैं और विद्वान न्यायाधीश को पुलिस मामले और क्रॉस के साथ आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं।

प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित मामला-एक के माध्यम से शिकायतकर्ता

निजी शिकायत करें और ऊपर दिए गए निर्देशों के आलोक में दोनों मामलों में मुकदमा चलाएं। विद्वान न्यायाधीश करेंगे

इन परस्पर विरोधी मामलों को प्राथमिकता दें और दोनों का निपटारा करें

शीघ्रता से मामले "।

42. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता पर निर्णय लेने में, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पुनर्विचार का आदेश देने की शक्ति को लगातार एक असाधारण प्रकृति का माना गया है, जिसकी शुरुआत ऊखा कोल्हे (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा सिद्धांतों के निर्माण और हाल ही में अजय कुमार घोषाल (ऊपर) में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा परिणामी सूत्रीकरण से हुई है। संयुक्त मुकदमे का निर्देश देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सी. आर. पी. सी. की धारा 223 के तहत अदालत के विवेक के अंतर्गत आता है। धारा 223 का खंड (डी) उसी अवधि में किए गए विभिन्न अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों को अनुमति देता है।

लेन-देन पर शुल्क लगाया जाना चाहिए और एक साथ प्रयास किया जाना चाहिए। 1898 की संहिता के संबंधित प्रावधान के दायरे की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने चंद्र भाल (ऊपर) मामले में जोरदार फैसला सुनाया है किः

वैधानिक प्रावधान न तो एक संयुक्त परीक्षण को अनिवार्य बनाता है

(1)

न ही यह अलग-अलग परीक्षणों को रोकता है या प्रतिबंधित करता है;

((ख)

मामले को निचली अदालत द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है

मुकदमे की शुरुआत और इसका निर्धारण मुकदमे के परिणाम के आधार पर नहीं किया जाना है; और एनएएसआईबी सिंह V.

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जहाँ मुद्दा अपील की अदालत में उठाया जाता है, स्पष्ट करें

(iii)

पूर्वाग्रह के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए एक के रूप में किया गया है

अलग परीक्षण का परिणाम।

43. चंद्र भाल में पाए गए सूत्र के समान एक सूत्र

भूराजी (ऊपर) में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में अभिव्यक्ति जहां अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक नए सिरे से सुनवाई केवल अंतिम उपाय का विषय होना चाहिए जब इस तरह की कार्रवाई "इतनी हताश और निर्विवाद" हो जाती है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अपीलीय न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने के लिए अत्यधिक आवश्यकता में ऐसा करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 के तहत अपील न्यायालय के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए,

न्यायालय को इस मौलिक सिद्धांत के प्रति सचेत रहना होगा कि

शक्ति

एक नए सिरे से मुकदमे का आदेश देना या "कि अभियुक्त पर फिर से मुकदमा चलाया जाए या मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया जाए" एक असाधारण प्रकृति का है जिसका उद्देश्य न्याय की विफलता को रोकना है। यही सिद्धांत वास्तव में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 (1) 2,3 में सन्निहित है।

44. पुनः विचारण के आदेश का प्रभाव आम तौर पर मिटा देने के लिए होता है।

प्रारंभिक चरण में अभिलिखित साक्ष्य। जैसा कि न्यायमूर्ति जे. सी. शाह ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहा, "पुनः सुनवाई का आदेश पूर्व की कार्यवाही को रिकॉर्ड से मिटा देता है।" न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस ने भूलाजी (उपरोक्त) में इस पर फिर से जोर दिया है और इसके बाद पूरे श्रमसाध्य अभ्यास को फिर से करने के खिलाफ आगाह किया है।

पूरे बयानों को दोहराने के लिए सभी व्यक्तियों को एक बार फिर अदालत में लाकर पिछली कार्यवाही से संबंधित भारी रिकॉर्ड को मिटाना। हमने बाद के निर्णयों को नोट किया है जो 'दर्ज किए गए साक्ष्य को मिटा देने' के सूत्रीकरण से कुछ अलग करते हैं। न्याय के उद्देश्यों को सुविधाजनक बनाने से संबंधित आवश्यकताओं से निपटना। हमें उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि हमने उन पर ध्यान दिया है।

45. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था

कि अपीलार्थी नसीब सिंह पर अन्य अपीलार्थियों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया गया था 23 " 465. त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण प्रतिवर्ती होने पर वाक्य खोजना या प्राप्त करना। (1) यहाँ

पहले निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को अपील न्यायालय द्वारा उलट या परिवर्तित नहीं किया जाएगा, शिकायत में किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण पुनरीक्षण की पुष्टि, समन, वारंट, घोषणा, आदेश, निर्णय या परीक्षण से पहले या उसके दौरान या इस संहिता के तहत किसी भी जांच या अन्य कार्यवाही में, या अभियोजन के लिए किसी भी मंजूरी में कोई त्रुटि या अनियमितता, जब तक कि उस न्यायालय की राय में, न्याय की विफलता वास्तव में इसके कारण नहीं हुई है।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 (ए) को ध्यान में रखते हुए दोनों प्राथमिकियों में सुनवाई के दौरान। अपीलार्थी को 29 नवंबर 2014 को एफ. आई. आर. 96 से उत्पन्न सत्र मुकदमे में और 29 जनवरी 2015 को एफ. आई. आर. 1 से उत्पन्न मुकदमे में बरी कर दिया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि "उसने एक अधिकार अर्जित किया था और हमें उसे बाधित करने में धीमी गति से काम करना चाहिए", फिर भी उसने दोनों मामलों को "संतुलन और न्याय के वितरण को बनाए रखने के लिए" फिर से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया। वहाँ है। अपीलार्थी और पंजाब राज्य दोनों के वकीलों द्वारा आग्रह किया गया था कि पुनः विचारण का आदेश साक्ष्य के पूरे रिकॉर्ड को मिटा देता है। अलग-अलग मुकदमों के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य कुछ अभियुक्तों के लिए मौजूद नहीं हो सकते हैं और दूसरों के लिए नहीं। उच्च न्यायालय के फैसले का प्रभाव खारिज करना है

अन्य अभियुक्तों के साथ एक नए मुकदमे के लिए अपीलार्थी। उच्च न्यायालय ने वास्तव में निर्देश दिया है कि यह देखते हुए मुकदमा नए सिरे से चलाया जाएगा कि अभियुक्तों पर उनके द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के लिए एक साथ आरोप लगाया जाए।

46. अपीलार्थी ने यह याचिका दायर की है कि इस स्तर पर सुनवाई का आदेश देना गंभीर पूर्वाग्रह का विषय होगा क्योंकि महत्वपूर्ण गवाह

(पी. डब्ल्यू. 20 और पी. डब्ल्यू. 17) जिन्होंने अपीलार्थी द्वारा जांच करने के तरीके के संबंध में गवाही दी थी, तब से उनकी मृत्यु हो गई है। उपरोक्त विचारों के अलावा, उच्च न्यायालय उन कथित अपराधों की गंभीरता से अनजान नहीं हो सकता था, जिनके लिए अभियुक्तों पर आरोप लगाए गए थे। 27 नवंबर 2012 को अपराधों के लिए एफ. आई. आर. 96 दर्ज की गई थी।

दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 328,363 ए, 366 और 376 के तहत दंडनीय। अपीलार्थी को 11 जनवरी 2013 को धारा 217,218 और 120 बी के प्रावधानों को जोड़ने के बाद फंसाया गया था। अभियोजक पर सामूहिक बलात्कार का एक गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 26 दिसंबर 2012 को उसने आत्महत्या कर ली, जिसके परिणामस्वरूप आई. पी. सी. की धारा 306/34 के तहत एफ. आई. आर. 100 दर्ज की गई, जिसे पी. एस. समाना को स्थानांतरित कर दिया गया और एफ. आई. आर. 187 के रूप में दर्ज किया गया। उच्च न्यायालय ने अपने 20 दिसंबर 2019 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा और अपीलार्थी को बरी करने के फैसले को निचली अदालत में माफ कर दिया और फिर से सुनवाई का आदेश दिया। घटना की तारीख से 7 साल से अधिक के अंतराल के साथ, एक पुनः परीक्षण न्याय के कारण को आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक गंभीर मामला सामने आएगा। 24 223. किन व्यक्तियों से संयुक्त रूप से शुल्क लिया जा सकता है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर आरोप लगाया जा सकता है और एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, अर्थात्: — (क) एक ही लेन-देन के दौरान किए गए एक ही अपराध के आरोपी व्यक्ति; [.] नसिब सिंह v.

न्याय की विफलता। उच्च न्यायालय का निर्णय न्याय का उपहास है। 47. भले ही यह स्वीकार किया जाता है कि एफ. आई. आर. 96 और एफ. आई. आर. 197 में किए गए कथित अपराध एक ही लेन-देन के दौरान किए गए थे, धारा 223 (डी) में वाक्यांश के अर्थ के भीतर, चीमलपति गणेश्वर राव (ऊपर) में व्याख्या को देखते हुए, यह एक संयुक्त मुकदमे के बाद फिर से मुकदमा का निर्देश देने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने की गारंटी नहीं देता है। अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के लिए यह साबित करना अनिवार्य था कि अलग-अलग मुकदमों के कारण न्याय की विफलता हुई। प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि अलग-अलग मुकदमों के कारण न्याय की विफलता हुई है। न्याय की विफलता के पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यद्यपि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में कहा है कि एफ. आई. आर. 96 और एफ. आई. आर. 187 में अलग-अलग मुकदमों के कारण न्याय की विफलता हुई है, लेकिन निष्कर्ष की व्याख्या करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने केवल यह टिप्पणी की है कि न्याय का 'गर्भपात' हो सकता है। इसलिए, व्यक्ति से काफी अलग

अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह जो न्यायालय के समक्ष लाया गया है, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अलग-अलग मुकदमों का आयोजन कानून के विपरीत नहीं था और उच्च न्यायालय की संतुष्टि के लिए न्याय की कोई परिणामी विफलता नहीं थी।

48. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि पंजाब राज्य इस अदालत के समक्ष पुनः सुनवाई के खिलाफ अपील में नहीं है, जिसका आदेश पंजाब सरकार ने दिया है।

उच्च न्यायालय। लेकिन प्रथम सिद्धांत के रूप में, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता भी यह स्थापित करने में सक्षम रहा है कि पुनः विचारण गंभीर पूर्वाग्रह का विषय होगा क्योंकि मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए महत्वपूर्ण साक्ष्य को अपीलार्थी के नेतृत्व वाले जांच दल के गवाहों की मृत्यु के परिणामस्वरूप मिटा दिया जाएगा। इसके अलावा, एक पुनः विचारण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा कि न्याय एक मामले में किया जाता है।

अभियोजक पर कथित रूप से किया गया जघन्य अपराध जिसके परिणामस्वरूप उसकी आत्महत्या में।

49. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 20 तारीख के विवादित फैसले और आदेश को खारिज कर देते हैं।

दिसंबर 2019। नतीजतन, आपराधिक अपीलों का पूरा समूह जिसे विवादित निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया गया है, गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निपटारे के लिए उच्च न्यायालय की फाइल में बहाल कर दिया जाएगा। हम स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में निहित किसी भी बात को उन अपीलों के गुण-दोष पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा, जिनकी सुनवाई और निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है।

50. उपरोक्त शर्तों में अपीलों की अनुमति है।

ए.

51. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

निधि जैन